सूचना विवरण पुस्तिका

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005

उत्तराखण्ड सरकार

मैनुअल– 4

(01 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक)

निदेशालय

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड

ननूरखेड़ा(तपोवन)देहरादून।

वैब साइड–www.schooleducation.uk.gov.in

ई.मेल-ua.elementary@yahoo.in

प्रेषक

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, देहरादून ।

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी, (प्रा०शि०)
पौड़ी।

पत्रांक–नियोजन(04)/ 18478-84 /बजट(139)/2024–25 दिनांक 12 मार्च, 2025

विषयः– जनपद पौड़ी के अन्तर्गत राजकीय प्राथमिक विद्यालयों के भवन पुनर्निर्माण हेतु धनावंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उत्तराखण्ड शासन (बेसिक शिक्षा अनुभाग–2) के पत्र संख्या–58/XXIV–A–2/2025–02/2024(E–67327) दिनांक 06 मार्च, 2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत निम्न राजकीय प्राथमिक विद्यालयों के भवन पुनर्निर्माण के चालू निर्माण कार्यों के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2024–25 में प्रारम्भिक शिक्षा के आय–व्ययक में 53–वृहद निर्माण कार्य मदान्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष अवशेष कुल धनराशि रु0 52.41 लाख (रूपये बावन लाख इक्तालीस हजार मात्र) की स्वीकृति प्रदान की गयी है। स्वीकृत धनराशि रु0 52.41 लाख (रूपये बावन लाख इक्तालीस हजार मात्र) को आपके निर्वतन में रखते हुये संलग्न शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(धनराशि लाख में)

क्र0सं0	विद्यालय का नाम	कार्य की कुल लागत	पूर्व में अवमुक्त धनराशि (50%)	अवशेष धनराशि (50%)
शासनादेश सं0–64 दिनांक 06.02.2024 द्वारा स्वीकृत कार्यः–				
1	रा0प्रा0वि0 सुन्दर (रणगांव)	35.16	17.580	17.580
2	रा0प्रा0वि जैंती डांग	34.83	17.415	17.415
3	रा0प्रा0वि0 डडोली तल्ली	34.83	17.415	17.415
	योग			52.41

(रूपये बावन लाख इक्तालीस हजार मात्र)

उक्त स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष निविदा के आधार पर अनुबन्धित धनराशि का ही आहरण कर सम्बन्धित कार्यदायी संस्था को भुगतान किया जाए।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024–25 में अनुदान संख्या–11 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक–4202 शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय– 01 सामान्य शिक्षा– 201 प्रारम्भिक शिक्षा–03 प्रारम्भिक विद्यालयों का विकास एवं सुदृढ़ीकरण के मानक मद–53–वृहद निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

संलग्न– शासनादेश की प्रति एवं (Computer Generated ID)

भवदीया,

(स्मृति खण्डूड़ी)
वित्त नियन्त्रक,
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0स0/नियोजन(04)/ 18478-84 /बजट (139)/2024–25 उक्तदिनांकित्।

प्रतिलिपि–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, कौलागढ़, देहरादून।
2. सचिव, बेसिक शिक्षा अनुभाग–02, उत्तराखण्ड शासन।
3. जिलाधिकारी, पौड़ी।
4. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, पौड़ी।
5. वित्त अधिकारी, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।
6. गार्ड फाइल।

(स्मृति खण्डूड़ी)
वित्त नियन्त्रक,
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

6L

प्रेषक

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, देहरादून ।

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी, (प्रा॰शि॰)
ऊधमसिंह नगर।

पत्रांक- नियोजन(04) / 17373-79 /बजट(139)/2024–25 दिनांक 21 फरवरी, 2025

विषयः– राजकीय प्राथमिक विद्यालय धीमरखेड़ा, गदरपुर के भवन पुनर्निर्माण कार्य की स्वीकृति/धनावंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उत्तराखण्ड शासन (बेसिक शिक्षा अनुभाग–2) के पत्र संख्या–569/XXIV–A–2/2025/24/2024(E–81365) दिनांक 18 फरवरी, 2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा जनपद ऊधमसिंह नगर के निम्नानुसार पुनर्निर्माण कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2024–25 में प्रारम्भिक शिक्षा के आय–व्ययक मे 53–वृहद् निर्माण कार्य मदान्तर्गत रू0 42.28 लाख (रूपये बयालीस लाख अठाईस हजार मात्र) की स्वीकृति प्रदान की गयी है। स्वीकृत धनराशि रू0 42.28 लाख (रूपये बयालीस लाख अठाईस हजार मात्र)को आपके निर्वतन में रखते हुये संलग्न शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र0सं0	जनपद	विकासखण्ड	विद्यालय का नाम	कार्य	लागत (धनराशि लाख में)
1	ऊधमसिंह नगर	गदरपुर	रा0प्रा0वि0 धीमरखेड़ा	भवन पुनर्निर्माण	42.28
			योग		42.28

(रूपये बयालीस लाख अठाईस हजार मात्र)

स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष निविदा के आधार पर अनुबन्धित धनराशि का ही आहरण कर सम्बन्धित कार्यदायी संस्था को भुगतान किया जाए।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024–25 में अनुदान संख्या–11 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक–4202 शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय– 01 सामान्य शिक्षा– 201 प्रारम्भिक शिक्षा–03 प्रारम्भिक विद्यालयों का विकास एवं सुदृढ़ीकरण के मानक मद–53–वृहद निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

संलग्न– शासनादेश की प्रति एवं **(Computer Generated ID)**

भवदीय,

(अजय कुमार नौडियाल)
निदेशक,
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0/नियोजन(04)/ 17373-79 /बजट (139)/2024–25 उक्तदिनांकित्।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, कौलागढ़, देहरादून।
2. सचिव, बेसिक शिक्षा अनुभाग–02, उत्तराखण्ड शासन।
3. जिलाधिकारी, ऊधमसिंह नगर।
4. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, ऊधमसिंह नगर।
5. वित्त अधिकारी, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।
6. गार्ड फाइल।

(अजय कुमार नौडियाल)
निदेशक,
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रेषक

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, देहरादून ।

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी, (प्रा.शि.)
नैनीताल।

पत्रांक–नियोजन(04)/ 17380-86 /बजट(139)/2024–25 दिनांक 21 फरवरी, 2025

विषयः– राजकीय प्राथमिक विद्यालय चौकबाजर, हल्द्वानी, नैनीताल के भवन मरम्मत कार्य की स्वीकृति/धनावंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उत्तराखण्ड शासन (बेसिक शिक्षा अनुभाग–2) के पत्र संख्या–569/XXIV–A–2/2025–24/2024(E–81365) दिनांक 18 फरवरी, 2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा जनपद नैनीताल के निम्नानुसार भवन मरम्मत कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2024–25 में प्रारम्भिक शिक्षा के आय–व्ययक मे 53–वृहद् निर्माण कार्य मदान्तर्गत रू0 13.38 लाख (रूपये तेरह लाख अडतीस हजार मात्र) की स्वीकृति प्रदान की गयी है। स्वीकृत धनराशि रू0 13.38 लाख (रूपये तेरह लाख अडतीस हजार मात्र) को आपके निर्वतन में रखते हुये संलग्न शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र0सं0	जनपद	विकासखण्ड	विद्यालय का नाम	कार्य	लागत (धनराशि लाख में)
1	नैनीताल	हल्द्वानी	रा0प्रा0वि0 चौकबाजार	भवन मरम्मत	13.38
			योग		13.38

(रूपये तेरह लाख अडतीस हजार मात्र)

स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष निविदा के आधार पर अनुबन्धित धनराशि का ही आहरण कर सम्बन्धित कार्यदायी संस्था को भुगतान किया जाए।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024–25 में अनुदान संख्या–11 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक–4202 शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय– 01 सामान्य शिक्षा– 201 प्रारम्भिक शिक्षा– 03 प्रारम्भिक विद्यालयों का विकास एवं सुदृढ़ीकरण के मानक मद–53–वृहद् निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

संलग्न– शासनादेश की प्रति एवं (Computer Generated ID)

भवदीय,

(अजय कुमार नौडियाल)
निदेशक,
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0/नियोजन(04)/ 17380-86 /बजट (139)/2024–25 उक्तदिनांकित्।

प्रतिलिपि–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, कौलागढ़, देहरादून।
2. सचिव, बेसिक शिक्षा अनुभाग–02, उत्तराखण्ड शासन।
3. जिलाधिकारी, नैनीताल।
4. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, नैनीताल।
5. वित्त अधिकारी, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।
6. गार्ड फाइल।

(अजय कुमार नौडियाल)
निदेशक,
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रेषक

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, देहरादून ।

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी, (प्रा.शि.)
देहरादून।

पत्रांक–नियोजन(04)/ 17263-69 /बजट(139)/2024–25 दिनांक 21 फरवरी, 2025

विषयः– राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के भवन पुनर्निर्माण कार्यों की स्वीकृति/धनावंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उत्तराखण्ड शासन (बेसिक शिक्षा अनुभाग–2) के पत्र संख्या–569/XXIV–A–2 2025–24/2024(E–81365) दिनांक 18 फरवरी, 2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा जनपद देहरादून के निम्नानुसार पुनर्निर्माण कार्यों हेतु वित्तीय वर्ष 2024–25 में प्रारम्भिक शिक्षा के आय–व्ययक में 53–वृहद् निर्माण कार्य मदान्तर्गत रू0 80.41 लाख (रूपये अस्सी लाख इकतालीस हजार मात्र) की स्वीकृति प्रदान की गयी है। स्वीकृत धनराशि रू0 80.41 लाख (रूपये अस्सी लाख इकतालीस हजार मात्र) को आपके निर्वतन में रखते हुये संलग्न शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र0सं0	जनपद	विकासखण्ड	विद्यालय का नाम	कार्य	लागत (धनराशि लाख में)
1	देहरादून	विकासनगर	रा0प्रा0वि0 बैरागीवाला	भवन पुनर्निर्माण	33.05
2		विकासनगर	रा0आ0उ0प्रा0वि0 सभावाला	भवन पुनर्निर्माण	47.36
			योग		80.41

(रूपये अस्सी लाख इकतालीस हजार मात्र)

स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष निविदा के आधार पर अनुबन्धित धनराशि का ही आहरण कर सम्बन्धित कार्यदायी संस्था को भुगतान किया जाए।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024–25 में अनुदान संख्या–11 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक–4202 शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय– 01 सामान्य शिक्षा– 201 प्रारम्भिक शिक्षा– 03 प्रारम्भिक विद्यालयों का विकास एवं सुदृढ़ीकरण के मानक मद–53–वृहद निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

संलग्न– शासनादेश की प्रति एवं (Computer Generated ID)

भवदीय,

(अजय कुमार नौडियाल)
निदेशक,
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0/नियोजन(04)/ 17263-69 /बजट (139)/2024–25 उक्तदिनांकित्।

प्रतिलिपि–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, कौलागढ़, देहरादून।
2. सचिव, बेसिक शिक्षा अनुभाग–02, उत्तराखण्ड शासन।
3. जिलाधिकारी, देहरादून।
4. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून।
5. वित्त अधिकारी, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।
6. गार्ड फाइल।

(अजय कुमार नौडियाल)
निदेशक,
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रेषक

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेडा, देहरादून ।

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी, (प्रा॰शि॰)
बागेश्वर।

पत्रांक–नियोजन(04)/ 15640-46 /बजट(139)/2024–25 दिनांक 21 दिसम्बर, 2024

विषयः– राजकीय आदर्श प्राथमिक विद्यालय कपकोट, बागेश्वर के चार कक्षा–कक्षों एवं हॉल का निर्माण कार्य की धनराशि स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उत्तरासखण्ड शासन (बेसिक शिक्षा अनुभाग–2) के पत्र संख्या–524/XXIV–A–2/08/2024(E–69743) दिनांक 11 दिसम्बर, 2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा राजकीय आदर्श प्राथमिक विद्यालय कपकोट, बागेश्वर के चार कक्षा–कक्षों एवं हॉल का निर्माण कार्य हेतु कार्यदायी संस्था ग्रामीण निर्माण विभाग द्वारा टी0ए0सी0 के परीक्षणोपरान्त उपलब्ध कराये गये आंगणन की कुल लागत रू0 107.00 लाख (रूपये एक करोड़ सात लाख मात्र) के सापेक्ष प्रथम किश्त (60%) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए औचितयपूर्ण धनराशि रू0 64.20 लाख (रूपये चौसठ लाख बीस हजार मात्र) स्वीकृति प्रदान की गयी है। स्वीकृत धनराशि रू0 64.20 लाख (रूपये चौसठ लाख बीस हजार मात्र) को आपके निर्वतन में रखते हुये संलग्न शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष निविदा के आधार पर अनुबन्धित धनराशि का ही आहरण कर सम्बन्धित कार्यदायी संस्था को भुगतान किया जाय।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024–25 में अनुदान संख्या–11 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक–4202 शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय– 01 सामान्य शिक्षा– 201 प्रारम्भिक शिक्षा– 03 प्रारम्भिक विद्यालयों का विकास एवं सुदृढ़ीकरण के मानक मद–53–वृहद निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

संलग्न– शासनादेश की प्रति एवं (Computer Generated ID)

भवदीय

(हेमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियन्त्रक,
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

संख्या/नियोजन(04)/ 15640-46 /बजट (139)/2024–25 उक्तदिनांकित्।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1 महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, कौलागढ़, देहरादून।
2 सचिव, विद्यालयी शिक्षा (बेसिक शिक्षा अनुभाग–02), उत्तराखण्ड शासन।
3 जिलाधिकारी, बागेश्वर।
4 मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, बागेश्वर।
5 वित्त अधिकारी, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।
6 गार्ड फाइल।

(हेमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियन्त्रक,
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रेषक

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेडा, देहरादून ।

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी, (प्रा॰शि॰)
रूद्रप्रयाग।

पत्रांक–नियोजन(04)/ 15147-53 /बजट(139)/2024–25 दिनांक 21 दिसम्बर, 2024

विषयः– राजकीय प्राथमिक विद्यालय भैंसारी, वि0ख0 ऊखीमठ जनपद रूद्रप्रयाग के भवन पुनर्निर्माण कीर्य की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उत्तराखण्ड शासन (बेसिक शिक्षा अनुभाग–2) के पत्र संख्या–588/XXIV–A–2/20/2024(E–78234) दिनांक 11 दिसम्बर, 2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा राजकीय प्राथमिक विद्यालय भैंसारी, वि0ख0 ऊखीमठ, जनपद रूद्रप्रयाग के भवन पुनर्निर्माण कार्य हेतु कार्यदायी संस्था ग्रामीण निर्माण विभाग द्वारा टी0ए0सी0 के परीक्षणोपरान्त उपलब्ध कराये गये आंगणन की प्रारम्भिक शिक्षा के आय–व्ययक में 53–वृहद निर्माण कार्य मदान्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष निर्माण कार्य की धनराशि रू0 34.37 लाख (रूपये चौंतीस लाख सैंतीस हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय की स्वीकृति प्रदान की गयी है। स्वीकृत धनराशि रू0 34.37 लाख (रूपये चौंतीस लाख सैंतीस हजार मात्र) को आपके निर्वतन में रखते हुये संलग्न शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष निविदा के आधार पर अनुबन्धित धनराशि का ही आहरण कर सम्बन्धित कार्यदायी संस्था को भुगतान किया जाय।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024–25 में अनुदान संख्या–11 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक–4202 शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय– 01 सामान्य शिक्षा– 201 प्रारम्भिक शिक्षा– 03 प्रारम्भिक विद्यालयों का विकास एवं सुदृढ़ीकरण के मानक मद–53–वृहद निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

संलग्न– शासनादेश की प्रति एवं (Computer Generated ID)

भवदीय,

(हेमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियन्त्रक,
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0/नियोजन(04)/ 15147-53 /बजट (139)/2024–25 उक्तदिनांकित्।

प्रतिलिपि–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, कौलागढ़, देहरादून।
2. सचिव, विद्यालयी शिक्षा (बेसिक शिक्षा अनुभाग–02), उत्तराखण्ड शासन।
3. जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग।
4. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, रूद्रप्रयाग ।
5. वित्त अधिकारी, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।
6. गार्ड फाइल।

(हेमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियन्त्रक,
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रेषक

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेडा, देहरादून ।

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी, (प्रा॰शि॰)
चम्पावत।

पत्रांक–नियोजन(04)/ 13992-98 /बजट(139)/2024–25 दिनांक 26 नवम्बर, 2024

विषयः– मा0 मुख्यमंत्री जी घोषणा संख्या–156/2024 "राजकीय प्राइमरी पाठशाला फागपुर व जूनियर हाईस्कूल फागपुर का रूपान्तरण स्मार्ट कक्षों का निर्माण एवं आधुनीकरण किया जायेगा" के क्रियान्वयन हेतु धनराशि स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या–536/XXIV–A–2/09/2024(E–76650) बेसिक शिक्षा अनुभाग–2 दिनांक 18 नवम्बर, 2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा मा0 मुख्यमंत्री जी घोषणा संख्या–156/2024 "राजकीय प्राइमरी पाठशाला फागपुर व जूनियर हाईस्कूल फागपुर का रूपान्तरण समार्ट कक्षों का निर्माण एवं आधुनीकरण किया जायेगा" के क्रियान्वयन हेतु कार्यदायी संस्था ग्रामीण निर्माण विभाग द्वारा टी0ए0सी0 के परीक्षणोपरान्त उपलब्ध कराये गये आंगणन की कुल लागत रू0 76.40 लाख (रूपये छिहत्तर लाख चालीस हजार मात्र) के सापेक्ष प्रथम किश्त (60%) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए औचितयपूर्ण धनराशि रु0 45.84 लाख (रूपये पैंतालीस लाख चौरासी हजार मात्र) स्वीकृति प्रदान की गयी है। स्वीकृत धनराशि रू0 45.84 लाख (रूपये पैंतालीस लाख चौरासी हजार मात्र) को आपके निर्वतन में रखते हुये संलग्न शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष निविदा के आधार पर अनुबन्धित धनराशि का ही आहरण कर सम्बन्धित कार्यदायी संस्था को भुगतान किया जाए।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024–25 में अनुदान संख्या–11 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक–4202 शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय– 01 सामान्य शिक्षा– 201 प्रारम्भिक शिक्षा– 03 प्रारम्भिक विद्यालयों का विकास एवं सुदृढ़ीकरण के मानक मद–53–वृहद निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

संलग्न– शासनादेश की प्रति एवं (Computer Generated ID)

भवदीय,

(हेमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियन्त्रक,
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0/नियोजन(04)/ 13992-98 /बजट (139)/2024–25 उक्तदिनांकित्।

प्रतिलिपि–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, कौलागढ़, देहरादून।
2. सचिव, बेसिक शिक्षा अनुभाग–02, उत्तराखण्ड शासन।
3. जिलाधिकारी, चम्पावत।
4. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, चम्पावत।
5. वित्त अधिकारी, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।
6. गार्ड फाइल।

(हेमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियन्त्रक,
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रेषक

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेडा, देहरादून ।

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी, (प्रा.शि.)
टिहरी।

पत्रांक–नियोजन(04)/ 13591-97 /बजट(139)/2024–25 दिनांक 18 नवम्बर, 2024

विषयः– राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के भवन पुनर्निर्माण कार्यों की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या–454/XXIV–A–2/20/2024(E–78234) दिनांक 04 नवम्बर, 2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा जनपद टिहरी के निम्नानुसार भवन पुनर्निर्माण कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2024–25 में प्रारम्भिक शिक्षा के आय–व्ययक में 53–वृहद् निर्माण कार्य मदान्तर्गत रू0 **31.94** लाख (रूपये इकतीस लाख चौरानबे हजार मात्र) की स्वीकृति प्रदान की गयी है। स्वीकृत धनराशि रू0 **31.94** लाख (रूपये इकतीस लाख चौरानबे हजार मात्र) को निम्न विवरणानुसार आपके निर्वतन में रखते हुये संलग्न शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र0सं0	जनपद	विकासखण्ड	विद्यालय का नाम	कार्य	लागत (धनराशि लाख में)
1	टिहरी	भिलंगना	रा0प्रा0वि0 सिलुडी बासर	पुनर्निर्माण	31.94
			योग		31.94

(रूपये इकतीस लाख चौरानबे हजार मात्र)

स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष निविदा के आधार पर अनुबन्धित धनराशि का ही आहरण कर सम्बन्धित कार्यदायी संस्था को भुगतान किया जाए।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024–25 में अनुदान संख्या–11 के अन्तर्गत लखा शीर्षक–4202 शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय– 01 सामान्य शिक्षा– 201 प्रारम्भिक शिक्षा– 03 प्रारम्भिक विद्यालयों का विकास एवं सुदृढ़ीकरण के मानक मद–53–वृहद निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

सलग्न– शासनादेश की प्रति एवं **(Computer Generated ID)**

भवदीय,

(हेमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियन्त्रक,
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0स0/नियाजन(04)/ 13591-97 /बजट (139)/2024–25 उक्तदिनांकित्।

प्रतिलिपि–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, कौलागढ़, देहरादून।
2. सचिव, बेसिक शिक्षा अनुभाग–02, उत्तराखण्ड शासन।
3. जिलाधिकारी, टिहरी।
4. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, टिहरी।
5. वित्त अधिकारी, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।
6. गार्ड फाइल।

(हेमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियन्त्रक,
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रेषक

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, देहरादून ।

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी, (प्रा.शि.)
पौड़ी।

पत्रांक–नियोजन(04)/ 13598-13604 /बजट(139)/2024–25 दिनांक 18 नवम्बर, 2024

विषयः– राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के भवन पुनर्निर्माण/वृहद मरम्मत कार्यों की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या–454/XXIV–A–2/20/2024(E–78234) दिनांक 04 नवम्बर, 2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा जनपद पौड़ी के निम्नानुसार भवन निर्माण/मरम्मत कार्यों हेतु वित्तीय वर्ष 2024–25 में प्रारम्भिक शिक्षा के आय–व्ययक में 53–वृहद् निर्माण कार्य मदान्तर्गत रू0 86.51 लाख (रूपये छियासी लाख इक्याबन हजार मात्र) की स्वीकृति प्रदान की गयी है। स्वीकृत धनराशि रू0 86.51 लाख (रूपये छियासी लाख इक्याबन हजार मात्र) को निम्न विवरणानुसार आपके निर्वतन में रखते हुये संलग्न शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र0सं0	जनपद	विकासखण्ड	विद्यालय का नाम	कार्य	लागत (धनराशि लाख में)
1	पौड़ी	थलीसैंण	रा0प्रा0वि0 सौंटी	03 कक्षों का निर्माण	26.50
2		थलीसैंण	रा0उ0प्रा0वि0 गिठाली	वृहद मरम्मत	21.63
3		थलीसैंण	रा0प्रा0वि0 चमंगाव	पुनर्निर्माण	38.38
			योग		86.51

(रूपये छियासी लाख इक्याबन हजार मात्र)

स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष निविदा के आधार पर अनुबन्धित धनराशि का ही आहरण कर सम्बन्धित कार्यदायी संस्था को भुगतान किया जाए।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024–25 में अनुदान संख्या–11 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक–4202 शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय– 01 सामान्य शिक्षा– 201 प्रारम्भिक शिक्षा– 03 प्रारम्भिक विद्यालयों का विकास एवं सुदृढ़ीकरण के मानक मद–53–वृहद निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

संलग्न– शासनादेश की प्रति एवं (Computer Generated ID)

भवदीय

(हेमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियन्त्रक,
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0/नियोजन(04)/ 13598-13604 /बजट (139)/2024–25 उक्तदिनांकित्।

प्रतिलिपि–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, कौलागढ़, देहरादून।
2. सचिव, बेसिक शिक्षा अनुभाग–02, उत्तराखण्ड शासन।
3. जिलाधिकारी, पौड़ी।
4. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, पौड़ी।
5. वित्त अधिकारी, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।
6. गार्ड फाइल।

(हेमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियन्त्रक,
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रेषक

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेडा, देहरादून ।

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी, (प्रा.शि.)
देहरादून।

पत्रांक–नियोजन(04)/ 13606 - 11 /बजट(139)/2024–25 दिनांक 18 नवम्बर, 2024

विषयः– राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के भवन पुनर्निर्माण कार्यों की स्वीकृति/धनावंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या–454/XXIV–A–2/20/2024(E–78234) दिनांक 04 नवम्बर, 2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा जनपद देहरादून के निम्नानुसार पुनर्निर्माण कार्यो हेतु वित्तीय वर्ष 2024–25 में प्रारम्भिक शिक्षा के आय–व्ययक में 53–वृहद् निर्माण कार्य मदान्तर्गत रू0 **191.16** लाख (रूपये एक करोड़ इकानब्बे लाख सोलह हजार मात्र) की स्वीकृति प्रदान की गयी है। स्वीकृत धनराशि रू0 191.16 लाख (रूपये एक करोड़ इकानब्बे लाख सोलह हजार मात्र) को निम्न विवरणानुसार आपके निर्वतन में रखते हुये संलग्न शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र0सं0	जनपद	विकासखण्ड	विद्यालय का नाम	कार्य	लागत (धनराशि लाख में)
1	देहरादून	सहसपुर	रा0प्रा0वि0 कोटडासन्तोर	पुनर्निर्माण	32.73
2		सहसपुर	रा0प्रा0वि0 सुद्धोवाला	पुनर्निर्माण	32.70
3		सहसपुर	रा0प्रा0वि0 बड़ोवाला भाउवाला	पुनर्निर्माण	32.29
4		सहसपुर	रा0प्रा0वि0 क्यारकली भट्टा	पुनर्निर्माण	34.04
5		सहसपुर	रा0प्रा0वि0 रैडापुर	पुनर्निर्माण	32.39
6		सहसपुर	रा0प्रा0वि0 गोपीवाला	पुनर्निर्माण	27.01
योग					191.16

(रूपये एक करोड़ इकानब्बे लाख सोलह हजार मात्र)

स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष निविदा के आधार पर अनुबन्धित धनराशि का ही आहरण कर सम्बन्धित कार्यदायी संस्था को भुगतान किया जाए।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024–25 में अनुदान संख्या–11 के अन्तर्गत लखा शीर्षक–4202 शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय– 01 सामान्य शिक्षा– 201 प्रारम्भिक शिक्षा–03 प्रारम्भिक विद्यालयों का विकास एवं सुदृढ़ीकरण के मानक मद–53–वृहद निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

संलग्न– शासनादेश की प्रति एवं **(Computer Generated ID)**

भवदीय,

(हेमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियन्त्रक,
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0/नियोजन(04)/ 13606 - 11 /बजट (139)/2024–25 उक्तदिनांकित्।

प्रतिलिपि–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, कौलागढ़, देहरादून।
2. सचिव, बेसिक शिक्षा अनुभाग–02, उत्तराखण्ड शासन।
3. जिलाधिकारी, देहरादून।
4. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून।
5. वित्त अधिकारी, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।
6. गार्ड फाइल।

(हेमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियन्त्रक,
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रेषक

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेडा, देहरादून ।

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी, (प्रा.शि.)
चम्पावत।

पत्रांक–नियोजन(04)/ 13612-18 /बजट(139)/2024–25 दिनांक 18 नवम्बर, 2024

विषयः– राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के भवन पुनर्निर्माण कार्यो की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या–454/XXIV–A–2/20/2024(E–78234) दिनांक 04 नवम्बर, 2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा जनपद चम्पावत के निम्नानुसार भवन निर्माण/मरम्मत कार्यो हेतु वित्तीय वर्ष 2024–25 में प्रारम्भिक शिक्षा के आय–व्ययक में 53–वृहद् निर्माण कार्य मदान्तर्गत रू0 254.50 लाख (रूपये दो करोड़ चौवन लाख पचास हजार मात्र) की स्वीकृति प्रदान की गयी है। स्वीकृत धनराशि 254.50 लाख (रूपये दो करोड़ चौवन लाख पचास हजार मात्र) को निम्न विवरणानुसार आपके निर्वतन में रखते हुये संलग्न शासनादेश में उल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र0सं0	जनपद	विकासखण्ड	विद्यालय का नाम	कार्य	लागत (धनराशि लाख में)
1	चम्पावत	पाटी	रा0क0उ0प्रा0वि0 देवीधुरा	पुनर्निर्माण	38.50
2		पाटी	रा0प्रा0वि0 अनर्पा	पुनर्निर्माण	35.50
3		पाटी	रा0प्रा0वि0 कार्कीछाना	पुनर्निर्माण	35.50
4		पाटी	रा0प्रा0वि0 चौड़ा	पुनर्निर्माण	35.50
5		पाटी	रा0प्रा0वि0 मौलना जाख	पुनर्निर्माण	35.50
6		पाटी	रा0उ0प्रा0वि0 पारस	पुनर्निर्माण	38.50
7		पाटी	रा0प्रा0वि0 देवीधुरा	पुनर्निर्माण	35.50
			योग		254.50

(रूपये दो करोड़ चौवन लाख पचास हजार मात्र)

स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष निविदा के आधार पर अनुबन्धित धनराशि का ही आहरण कर सम्बन्धित कार्यदायी संस्था को भुगतान किया जाए।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024–25 में अनुदान संख्या–11 के अन्तर्गत लखा शीर्षक–4202 शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय– 01 सामान्य शिक्षा– 201 प्रारम्भिक शिक्षा– 03 प्रारम्भिक विद्यालयों का विकास एवं सुदृढ़ीकरण के मानक मद–53–वृहद निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

संलग्न– शासनादेश की प्रति एवं (Computer Generated ID)

भवदीय,

(हेमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियन्त्रक,
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0/नियोजन(04)/ 13612-18 /बजट (139)/2024–25 उक्तदिनांकित्।

प्रतिलिपि–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, कौलागढ़, देहरादून।
2. सचिव, बेसिक शिक्षा अनुभाग–02, उत्तराखण्ड शासन।
3. जिलाधिकारी, चम्पावत।
4. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, चम्पावत।
5. वित्त अधिकारी, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।
6. गार्ड फाइल।

(हेमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियन्त्रक,
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रेषक

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेडा, देहरादून ।

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी, (प्रा॰शि॰)
पिथौरागढ़।

पत्रांक–नियोजन(04)/ 13584-90 /बजट(139)/2024–25 दिनांक 18 नवम्बर, 2024

विषयः– राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के भवन मरम्मत कार्यों की स्वीकृति/धनावंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या–454/XXIV–A–2/20/2024(E–78234) दिनांक 04 नवम्बर, 2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा जनपद पिथौरागढ़ के निम्नानुसार पुनर्निर्माण कार्यों हेतु वित्तीय वर्ष 2024–25 में प्रारम्भिक शिक्षा के आय–व्ययक में 53–वृहद् निर्माण कार्य रू0 49.93 लाख (रूपये उनपचास लाख तिरानब्बे हजार मात्र) की स्वीकृति प्रदान की गयी है। स्वीकृत धनराशि रू0 49.93 लाख (रूपये उनपचास लाख तिरानब्बे हजार मात्र) को निम्न विवरणानुसार आपके निर्वतन में रखते हुये संलग्न शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र0सं0	जनपद	विकासखण्ड	विद्यालय का नाम	कार्य	लागत (धनराशि लाख में)
1	पिथौरागढ़	गंगोलीहाट	रा0आ0पू0मा0वि0 भटगांव	भवन मरम्मत	13.71
2		गंगोलीहाट	रा0प्रा0वि0 खतेडा	भवन मरम्मत	16.14
3		धारचूला	रा0प्रा0वि0 तोली बरम	भवन मरम्मत	10.04
4		धारचूला	रा0प्रा0वि0 धामीगांव	वृहद मरम्मत	10.04
			योग		49.93

(रूपये उनपचास लाख तिरानब्बे हजार मात्र)

स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष निविदा के आधार पर अनुबन्धित धनराशि का ही आहरण कर सम्बन्धित कार्यदायी संस्था को भुगतान किया जाए।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024–25 में अनुदान संख्या–11 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक–4202 शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय– 01 सामान्य शिक्षा– 201 प्रारम्भिक शिक्षा– 03 प्रारम्भिक विद्यालयों का विकास एवं सुदृढ़ीकरण के मानक मद–53–वृहद निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

संलग्न– शासनादेश की प्रति एवं (Computer Generated ID)

भवदीय,

(हेमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियन्त्रक,
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0स0/नियोजन(04)/ 13584-90 /बजट (139)/2024–25 उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, कौलागढ़, देहरादून।
2. सचिव, बेसिक शिक्षा अनुभाग–02, उत्तराखण्ड शासन।
3. जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।
4. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, पिथौरागढ़।
5. वित्त अधिकारी, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।
6. गार्ड फाइल।

(हेमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियन्त्रक,
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रेषक

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेडा, देहरादून ।

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी, (प्रा.शि.)
टिहरी।

पत्रांक–नियोजन(04)/ 12999-13005 /बजट(139)/2024–25 दिनांक 29 अक्टूबर, 2024

विषयः– राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के भवन पुनर्निर्माण/निर्माण कार्यों की स्वीकृति/धनावंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या–491/XXIV–A–2/15/2024(E–74306) दिनांक 10 अक्टूबर, 2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा जनपद टिहरी के निम्नानुसार भवन पुनर्निर्माण, निर्माण कार्यों हेतु वित्तीय वर्ष 2024–25 में प्रारम्भिक शिक्षा के आय–व्ययक में 53–वृहद् निर्माण कार्य मदान्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष निर्माण कार्य की धनराशि रू0 62.36 लाख (रूपये बासठ लाख छत्तीस हजार मात्र) की स्वीकृति प्रदान की गयी है। स्वीकृत धनराशि रू0 62.36 लाख (रूपये बासठ लाख छत्तीस हजार मात्र) को निम्न विवरणानुसार आपके निर्वतन में रखते हुये संलग्न शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र0सं0	जनपद	विकासखण्ड	विद्यालय का नाम	कार्य	लागत (धनराशि लाख में)
1	टिहरी	देवप्रयाग	रा0प्रा0वि0 पाटा	भवन पुनर्निर्माण	28.95
2		प्रतापनगर	रा0प्रा0वि0 रमोलागांव	भवन निर्माण	33.41
			योग		62.36

(रूपये बासठ लाख छत्तीस हजार मात्र)

स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष निविदा के आधार पर अनुबन्धित धनराशि का ही आहरण कर सम्बन्धित कार्यदायी संस्था को भुगतान किया जाए।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024–25 में अनुदान संख्या–11 के अन्तर्गत लखा शीर्षक–4202 शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय– 01 सामान्य शिक्षा– 201 प्रारम्भिक शिक्षा– 03 प्रारम्भिक विद्यालयों का विकास एवं सुदृढ़ीकरण के मानक मद–53–वृहद निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

संलग्न– शासनादेश की प्रति एवं **(Computer Generated ID)**

भवदीय,

(हेमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियन्त्रक,
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0/नियोजन(04)/ 12999-13005 /बजट (139)/2024–25 उक्तदिनांकित्।

प्रतिलिपि–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, कौलागढ़, देहरादून।
2. सचिव, बेसिक शिक्षा अनुभाग–02, उत्तराखण्ड शासन।
3. जिलाधिकारी, टिहरी।
4. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, टिहरी।
5. वित्त अधिकारी, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।
6. गार्ड फाइल।

(हेमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियन्त्रक,
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रेषक

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेडा, देहरादून ।

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी, (प्रा०शि०)
पिथौरागढ़।

पत्रांक–नियोजन(04)/ 12918-85 /बजट(139)/2024–25 दिनांक 29 अक्टूबर, 2024

विषयः— राजकीय प्राथमिक विद्यालय, चनकाना में वृहद् मरम्मत कार्य की अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या–490/XXIV–A–2/2023–35/2016(E–46388) दिनांक 10 अक्टूबर, 2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा जनपद पिथौरागढ के राजकीय प्राथमिक विद्यालय, चनकाना, बेरीनाग में कुल लागत रू0 559000.00 (रू0 पांच लाख उनसठ हजार मात्र) के चालू निर्माण कार्य के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2024–25 में प्रारम्भिक शिक्षा के आय–व्ययक में 53–वृहद् निर्माण कार्य मदान्तर्गत कार्य हेतु अवशेष कुल धनराशि रू0 335400.00 (रू0 तीन लाख पैंतीस हजार चार सौ मात्र) की स्वीकृति प्रदान की गयी है। स्वीकृत धनराशि रू0 335400.00 (रू0 तीन लाख पैंतीस हजार चार सौ मात्र) को आपके निर्वतन में रखते हुये संलग्न शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष निविदा के आधार पर अनुबन्धित धनराशि का ही आहरण कर सम्बन्धित कार्यदायी संस्था को भुगतान किया जाए।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024–25 में अनुदान संख्या–11 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक–4202 शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय– 01 सामान्य शिक्षा– 201 प्रारम्भिक शिक्षा– 03 प्रारम्भिक विद्यालयों का विकास एवं सुदृढ़ीकरण के मानक मद–53–वृहद निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

संलग्न– शासनादेश की प्रति एवं (Computer Generated ID)

भवदीय,

(हेमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियन्त्रक,
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0/नियोजन(04)/ 12918-85 /बजट (139)/2024–25 उक्तदिनांकित्।

प्रतिलिपि–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, कौलागढ़, देहरादून।
2. सचिव, बेसिक शिक्षा अनुभाग–02, उत्तराखण्ड शासन।
3. जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।
4. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, पिथौरागढ़।
5. वित्त अधिकारी, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।
6. गार्ड फाइल।

(हेमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियन्त्रक,
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रेषक

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेडा, देहरादून ।

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी, (प्रा०शि०)
बागेश्वर।

पत्रांक–नियोजन(04)/ 12985-91 /बजट(139)/2024–25 दिनांक 29 अक्टूबर, 2024

विषयः– राजकीय प्राथमिक विद्यालय, बाजीधार में भवन पुनर्निर्माण हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या–491/XXIV–A–2/15/2024(E–74306) दिनांक 10 अक्टूबर, 2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा जनपद बागेश्वर के राजकीय प्राथमिक विद्यालय, बाजीधार, कपकोट में पुनर्निर्माण कार्य हेतु कुल लागत रू0 30.90 लाख (रू0 तीस लाख नब्बे हजार मात्र) के निर्माण कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2024–25 में प्रारम्भिक शिक्षा के आय–व्ययक में 53–वृहद् निर्माण कार्य मदान्तर्गत कुल धनराशि रू0 30.90 लाख (रू0 तीस लाख नब्बे हजार मात्र) की स्वीकृति प्रदान की गयी है। स्वीकृत धनराशि रू0 30.90 लाख (रू0 तीस लाख नब्बे हजार मात्र) को आपके निर्वतन में रखते हुये संलग्न शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष निविदा के आधार पर अनुबन्धित धनराशि का ही आहरण कर सम्बन्धित कार्यदायी संस्था को भुगतान किया जाए।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024–25 में अनुदान संख्या–11 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक–4202 शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय– 01 सामान्य शिक्षा– 201 प्रारम्भिक शिक्षा– 03 प्रारम्भिक विद्यालयों का विकास एवं सुदृढ़ीकरण के मानक मद–53–वृहद निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

संलग्न– शासनादेश की प्रति एवं **(Computer Generated ID)**

भवदीय,

(हेमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियन्त्रक,
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0/नियोजन(04)/ 12985-91 /बजट (139)/2024–25 उक्तदिनांकित्।

प्रतिलिपि–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, कौलागढ़, देहरादून।
2. सचिव, बेसिक शिक्षा अनुभाग–02, उत्तराखण्ड शासन।
3. जिलाधिकारी, बागेश्वर।
4. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, बागेश्वर।
5. वित्त अधिकारी, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।
6. गार्ड फाइल।

(हेमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियन्त्रक,
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रेषक

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, देहरादून ।

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी, (प्रा०शि०)
पिथौरागढ़।

पत्रांक–नियोजन(04)/ 12992-98 /बजट(139)/2024–25 दिनांक 29 अक्टूबर, 2024

विषयः– राजकीय प्राथमिक विद्यालय, भल्या, बिण, पिथौरागढ़ हेतु भवन पुनर्निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या–491/XXIV–A–2/15/2024(E–74306) दिनांक 10 अक्टूबर, 2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा जनपद पिथौरागढ़ के राजकीय प्राथमिक विद्यालय, भल्या, बिण में भवन पुनर्निर्माण कार्य हेतु कुल लागत रू0 35.00 लाख (रू0 पैंतीस लाख मात्र) के निर्माण कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2024–25 में प्रारम्भिक शिक्षा के आय–व्ययक में 53–वृहद् निर्माण कार्य मदान्तर्गत कुल धनराशि रू0 35.00 लाख (रू0 पैंतीस लाख मात्र) की स्वीकृति प्रदान की गयी है। स्वीकृत धनराशि रू0 35.00 लाख (रू0 पैंतीस लाख मात्र) को आपके निर्वतन में रखते हुये संलग्न शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष निविदा के आधार पर अनुबन्धित धनराशि का ही आहरण कर सम्बन्धित कार्यदायी संस्था को भुगतान किया जाए।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024–25 में अनुदान संख्या–11 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक–4202 शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय– 01 सामान्य शिक्षा– 201 प्रारम्भिक शिक्षा– 03 प्रारम्भिक विद्यालयों का विकास एवं सुदृढ़ीकरण के मानक मद–53–वृहद निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

संलग्न– शासनादेश की प्रति एवं (Computer Generated ID)

भवदीय,

(हेमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियन्त्रक,
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0/नियोजन(04)/ 12992-98 /बजट (139)/2024–25 उक्तदिनांकित्।

प्रतिलिपि–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, कौलागढ़, देहरादून।
2. सचिव, बेसिक शिक्षा अनुभाग–02, उत्तराखण्ड शासन।
3. जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।
4. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, पिथौरागढ़।
5. वित्त अधिकारी, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।
6. गार्ड फाइल।

(हेमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियन्त्रक,
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रेषक

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेडा, देहरादून ।

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी, (प्रा.शि.)
पौड़ी।

पत्रांक–नियोजन(04)/ 13005-11 /बजट(139)/2024–25 दिनांक 29 अक्टूबर, 2024

विषयः– राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के भवन निर्माण/मरम्मत कार्यों की स्वीकृति/धनावंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या–491/XXIV–A–2/15/2024(E–74306) दिनांक 10 अक्टूबर, 2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा जनपद पौड़ी के निम्नानुसार भवन निर्माण/मरम्मत कार्यों हेतु वित्तीय वर्ष 2024–25 में प्रारम्भिक शिक्षा के आय–व्ययक में 53–वृहद् निर्माण कार्य मदान्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष निर्माण कार्य की धनराशि रू0 41.65 लाख (रूपये इकचालीस लाख पैंसठ हजार मात्र) की स्वीकृति प्रदान की गयी है। स्वीकृत धनराशि रू0 41.65 लाख (रूपये इकचालीस लाख पैंसठ हजार मात्र) को निम्न विवरणानुसार आपके निर्वतन में रखते हुये संलग्न शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र0सं0	जनपद	विकासखण्ड	विद्यालय का नाम	कार्य	लागत (धनराशि लाख में)
1	पौड़ी	थलीसैंण	रा0प्रा0वि0 बांकुडा	मरम्मत कार्य	11.76
2		जयहरीखाल	रा0प्रा0वि0 सारी	भवन निर्माण	29.89
			योग		41.65

(रूपये इकचालीस लाख पैंसठ हजार मात्र)

स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष निविदा के आधार पर अनुबन्धित धनराशि का ही आहरण कर सम्बन्धित कार्यदायी संस्था को भुगतान किया जाए।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024–25 में अनुदान संख्या–11 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक–4202 शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय– 01 सामान्य शिक्षा– 201 प्रारम्भिक शिक्षा– 03 प्रारम्भिक विद्यालयों का विकास एवं सुदृढ़ीकरण के मानक मद–53–वृहद निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

संलग्न– शासनादेश की प्रति एवं (Computer Generated ID)

भवदीय

(हेमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियन्त्रक,
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0/नियोजन(04)/ 13005-11 /बजट (139)/2024–25 उक्तदिनांकित्।

प्रतिलिपि–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, कौलागढ़, देहरादून।
2. सचिव, बेसिक शिक्षा अनुभाग–02, उत्तराखण्ड शासन।
3. जिलाधिकारी, पौड़ी।
4. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, पौड़ी।
5. वित्त अधिकारी, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।
6. गार्ड फाइल।

(हेमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियन्त्रक,
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रेषक

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेडा, देहरादून ।

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी, (प्रा.शि.)
देहरादून। 13017-23

पत्रांक–नियोजन(04)/ 13017-23 /बजट(139)/2024–25 दिनांक 29 अक्टूबर, 2024

विषयः– राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के भवन वृहद मरम्मत/पुनर्निर्माण कार्यों की स्वीकृति/धनावंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या–491/XXIV–A–2/15/2024(E–74306) दिनांक 10 अक्टूबर, 2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा जनपद देहरादून के निम्नानुसार वृहद मरम्मत/पुनर्निर्माण कार्यों हेतु वित्तीय वर्ष 2024–25 में प्रारम्भिक शिक्षा के आय–व्ययक में 53–वृहद निर्माण कार्य मदान्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष निर्माण कार्य की धनराशि रू0 **96.47** लाख (रूपये छियानब्बे लाख सैंतालीस हजार मात्र) की स्वीकृति प्रदान की गयी है। स्वीकृत धनराशि रू0 **96.47** लाख (रूपये छियानब्बे लाख सैंतालीस हजार मात्र) को निम्न विवरणानुसार आपके निर्वतन में रखते हुये संलग्न शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एव प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र0सं0	जनपद	विकासखण्ड	विद्यालय का नाम	कार्य	लागत (धनराशि लाख में)
1	देहरादून	रायपुर	रा0प्रा0वि0 वाणी विहार	वृहद मरम्मत	11.22
2		रायपुर	रा0प्रा0वि0 भोपालपानी	पुनर्निर्माण	42.58
3		रायपुर	रा0प्रा0वि0 सोडा सरोली	पुनर्निर्माण	42.67
			योग		96.47

(रूपये छियानब्बे लाख सैंतालीस हजार मात्र)

स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष निविदा के आधार पर अनुबन्धित धनराशि का ही आहरण कर सम्बन्धित कार्यदायी संस्था को भुगतान किया जाए।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024–25 में अनुदान संख्या–11 के अन्तर्गत लखा शीर्षक–4202 शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय– 01 सामान्य शिक्षा– 201 प्रारम्भिक शिक्षा–03 प्रारम्भिक विद्यालयों का विकास एवं सुदृढ़ीकरण के मानक मद–53–वृहद निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

संलग्न– शासनादेश की प्रति एवं (Computer Generated ID)

भवदीय,

(हेमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियन्त्रक,
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0/नियोजन(04)/ 13017-23 /बजट (139)/2024–25 उक्तदिनांकित्।

प्रतिलिपि–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, कौलागढ़, देहरादून।
2. सचिव, बेसिक शिक्षा अनुभाग–02, उत्तराखण्ड शासन।
3. जिलाधिकारी, देहरादून।
4. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून।
5. वित्त अधिकारी, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।
6. गार्ड फाइल।

(हेमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियन्त्रक,
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रेषक,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, देहरादून।

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी, (प्रा.शि.)
पिथौरागढ़।

पत्रांक– नियोजन(04)/ 9547 /बजट(139)/2024–25 दिनांक 20 अगस्त, 2024

विषयः– जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत राजकीय प्राथमिक विद्यालयों के भवन मरम्मत निर्माण कार्यों की स्वीकृति/ धनावंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय के पत्र सं0–नियोजन(04)/9320/आंगणन शासन/2024–25 दिनांक 08 अगस्त, 2024 में शासन के पत्र सं0–337/XXIV-A-2/2024-28/2023(E-73979) बेसिक शिक्षा अनुभाग–2 दिनांक 12 जुलाई, 2024 का उल्लेख करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2024–25 जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत राजकीय प्राथमिक विद्यालयों के भवन पुनर्निर्माण/वृहद मरम्मत निर्माण कार्यों हेतु कार्यदायी संस्था उत्तराखण्ड ग्रामीण निर्माण विभाग द्वारा निम्न विद्यालयों के पुनर्निर्माण/वृहद मरम्मत निर्माण कार्यों की स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

क्र. स.	जनपद	विकासखण्ड	विद्यालय का नाम	कार्य	लागत (लाख में)
1	पिथौरागढ़	बेरीनाग	रा0प्रा0वि0 दुदिला	भवन मरम्मत	12.48
2		बेरीनाग	रा0प्रा0वि0 बेरीनाग	भवन मरम्मत	13.53
3		बेरीनाग	रा0प्रा0वि0 दौलीगाड़	भवन मरम्मत	19.99
4		बेरीनाग	रा0प्रा0वि0 बड़ेतलग्गा	भवन मरम्मत	15.37
योग					61.37

आपके पत्र सं0 बेसिक नियोजन/3132/मा0मु0घो0/2024–25 दिनांक 06 अगस्त, 2024 के क्रम में शासनादेश संख्या–383/XXIV-A-2/2024-28/2023(E-73979) बेसिक शिक्षा अनुभाग–2 दिनांक 14 अगस्त, 2024 द्वारा उक्त विद्यालयों के निर्माण कार्य हेतु कार्यदायी संस्था उत्तराखण्ड ग्रामीण निर्माण विभाग के स्थान पर मण्डी परिषद (उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन एवं विपणन परिषद) को नामित किया जाता है।

अतः उक्त शासनादेश की छायाप्रति प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्तांकित विद्यालयों के पुनर्निर्माण/वृहद मरम्मत निर्माण कार्य हेतु नामित कार्यदायी संस्था के माध्यम से पुनर्निर्माण/मरम्मत कार्य करवाने की कार्यवाही करने का कष्ट करें शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

संलग्न– शासनादेश की प्रति।

भवदीय,

(एस०एम० चौहान)
उप निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रेषक

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेडा, देहरादून ।

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी, (प्रा.शि.)
अल्मोड़ा।

पत्रांक— नियोजन(04)/ 9-121-27 /बजट(139)/2024—25 दिनांक 24 जुलाई, 2024

विषयः— राजकीय प्राथमिक विद्यालय सुपई, वि0ख0 भैंसियाछाना, जनपद अल्मोड़ा के भवन की मरम्मत/जीर्णोद्धार कार्य की स्वीकृति/धनावंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र सं0—334/XXIV-A-2/2024-24/2022(E-43565) बेसिक शिक्षा अनुभाग—2 दिनांक 12 जुलाई, 2024 के द्वारा जनपद अल्मोड़ा के राजकीय प्राथमिक विद्यालय सुपई, वि0ख0 भैंसियाछाना के भवन की मरम्मत/जीर्णोद्धार कार्य हेतु कार्यदायी संस्था ग्रामीण निर्माण विभाग द्वारा टी0ए0सी0 के परीक्षणोपरान्त उपलब्ध कराये गये आंगणन की प्रारम्भिक शिक्षा के आय—व्ययक में 53—वृहद निर्माण कार्य मदान्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष निर्माण कार्य की धनराशि रू0 2649000.00 (रु0 छब्बीस लाख उनचास हजार मात्र) प्रशासकीय एवं वित्तीय की स्वीकृति प्रदान की गयी है। स्वीकृत धनराशि 2649000.00 (रु0 छब्बीस लाख उनचास हजार मात्र) के आपके निवर्तन में रखते हुए संलग्न शासनादेश में उल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष निविदा के आधार पर अनुबन्धित धनराशि का ही आहरण कर सम्बन्धित कार्यदायी संस्था को भुगतान किया जाए।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024—25 में अनुदान संख्या—11 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक—4202 शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय— 01 सामान्य शिक्षा— 201 प्रारम्भिक शिक्षा— 03 प्रारम्भिक विद्यालयों का विकास एवं सुदृढ़ीकरण के मानक मद—53—वृहद निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

संलग्न— शासनादेश की प्रति एवं **(Computer Generated ID)**

भवदीय,

(हेमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियन्त्रक,
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0/नियोजन(04)/ 9-121-27 /बजट (139)/2024—25 उक्तदिनांकित्।

प्रतिलिपि—निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, कौलागढ़, देहरादून।
2. सचिव, बेसिक शिक्षा अनुभाग—02, उत्तराखण्ड शासन।
3. जिलाधिकारी, अल्मोड़ा।
4. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, अल्मोड़ा।
5. वित्त अधिकारी, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।
6. गार्ड फाइल।

(हेमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियन्त्रक,
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रेषक,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेडा, देहरादून ।

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी, (प्रा॰शि॰)
पिथौरागढ़।

पत्रांक– नियोजन(04)/ 8114-20 /बजट(139)/2024–25 दिनांक 24 जुलाई, 2024

विषयः– जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत राजकीय प्राथमिक विद्यालयों के भवन मरम्मत निर्माण कार्यों की स्वीकृति/ धनावंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र सं0–337/XXIV-A-2/2024-28/2023(E-73979) बेसिक शिक्षा अनुभाग–2 दिनांक 12 जुलाई, 2024 के द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2024–25 जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत राजकीय प्राथमिक विद्यालयों के भवन पुनर्निर्माण/वृहद मरम्मत निर्माण कार्यों हेतु कार्यदायी संस्था ग्रामीण निर्माण विभाग द्वारा टी0ए0सी0 के परीक्षणोपरान्त उपलब्ध कराये गये आंगणन की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रारम्भिक शिक्षा के आय–व्ययक में 53–वृहद निर्माण कार्य मदान्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष निम्न विवरणानुसार कुल धनराशि रू0 6137000.00 (रु0 इकसठ लाख सैंतीस हजार मात्र) की स्वीकृति प्रदान की गयी है। स्वीकृत धनराशि रू0 6137000.00 (रु0 इकसठ लाख सैंतीस हजार मात्र) को आपके निवर्तन में रखते हुए संलग्न शासनादेश में उल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है–

क्र. स.	जनपद	वि0ख0	विद्यालय का नाम	कार्य	लागत (लाख में)
1	पिथौरागढ़	बेरीनाग	रा0प्रा0वि0 दुदिला	भवन मरम्मत	12.48
2		बेरीनाग	रा0प्रा0वि0 बेरीनाग	भवन मरम्मत	13.53
3		बेरीनाग	रा0प्रा0वि0 दौलीगाड़	भवन मरम्मत	19.99
4		बेरीनाग	रा0प्रा0वि0 बड़ेतलग्गा	भवन मरम्मत	15.37
				योग	61.37

स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष निविदा के आधार पर अनुबन्धित धनराशि का ही आहरण कर सम्बन्धित कार्यदायी संस्था को भुगतान किया जाए।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024–25 में अनुदान संख्या–11 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक–4202 शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय– 01 सामान्य शिक्षा– 201 प्रारम्भिक शिक्षा– 03 प्रारम्भिक विद्यालयों का विकास एवं सुदृढ़ीकरण के मानक मद–53–वृहद निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

संलग्न– शासनादेश की प्रति एवं **(Computer Generated ID)**

भवदीय,

(हेमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियन्त्रक,
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रेषक,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेडा, देहरादून ।

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी, (प्रा०शि०)
पौड़ी।

पत्रांक— नियोजन(04)/ 4107-12/बजट(139)/2024—25 दिनांक 24 जुलाई, 2024

विषयः— राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के भवन पुनर्निर्माण/कक्षा—कक्ष निर्माण कार्यों की स्वीकृति/ धनावंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र सं0—336/XXIV-A-2/2024-08/2024(E-69743) बेसिक शिक्षा अनुभाग—2 दिनांक 12 जुलाई, 2024 के द्वारा जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के भवन पुनर्निर्माण/कक्षा—कक्ष निर्माण कार्यों हेतु कार्यदायी संस्था ग्रामीण निर्माण विभाग द्वारा टी0ए0सी0 के परीक्षणोपरान्त उपलब्ध कराये गये आंगणन की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रारम्भिक शिक्षा के आय—व्ययक में 53—वृहद निर्माण कार्य मदान्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष निम्न विवरणानुसार कुल धनराशि रू0 12844000.00 (रु0 एक करोड अट्ठाईस लाख चवालीस हजार मात्र) की स्वीकृति प्रदान की गयी है। स्वीकृत धनराशि रू0 12844000.00 (रु0 एक करोड अट्ठाईस लाख चवालीस हजार मात्र) को आपके निवर्तन में रखते हुए संलग्न शासनादेश में उल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है—

क्र. स.	जनपद	वि0ख0	विद्यालय का नाम	कार्य	लागत (लाख में)
1	पौड़ी	थलीसैंण	रा0प्रा0वि0 कनाकोट	02 कक्षा—कक्ष एवं प्रधानाध्यापक कक्ष का निर्माण	29.73
2		थलीसैंण	रा0प्रा0वि0 कुचोली	02 कक्षा—कक्ष एवं प्रधानाध्यापक कक्ष का निर्माण	29.75
3		थलीसैंण	रा0प्रा0वि0 मैखोली	भवन पुनर्निर्माण	34.32
4		थलीसैंण	रा0प्रा0वि0 भरनो	भवन पुनर्निर्माण	34.64
				योग	128.44

स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष निविदा के आधार पर अनुबन्धित धनराशि का ही आहरण कर सम्बन्धित कार्यदायी संस्था को भुगतान किया जाए।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024—25 में अनुदान संख्या—11 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक—4202 शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय— 01 सामान्य शिक्षा— 201 प्रारम्भिक शिक्षा— 03 प्रारम्भिक विद्यालयों का विकास एवं सुदृढ़ीकरण के मानक मद—53—वृहद निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

संलग्न— शासनादेश की प्रति एवं (Computer Generated ID)

भवदीय,

(हेमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियन्त्रक,
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रेषक

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेडा, देहरादून ।

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी, (प्रा०शि०)
नैनीताल।

पत्रांक– नियोजन(04)/ 8011-12 /बजट(139)/2024–25 दिनांक 23 जुलाई, 2024

विषयः– जनपद नैनीताल के राजकीय प्राथमिक विद्यालय बच्चीनगर के भवन निर्माण कार्य की स्वीकृति/धनावंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र सं0–338/XXIV-A-2/2024-24/2023(E-60215) बेसिक शिक्षा अनुभाग–2 दिनांक 12 जुलाई, 2024 के द्वारा जनपद नैनीताल के राजकीय प्राथमिक विद्यालय बच्चीनगर, वि0ख0 कोटाबाग के भवन निर्माण कार्य हेतु कार्यदायी संस्था उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन विपणन परिषद् द्वारा टी0ए0सी0 के परीक्षणोपरान्त उपलब्ध कराये गये आंगणन की प्रारम्भिक शिक्षा के आय–व्ययक में 53–वृहद निर्माण कार्य मदान्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष निर्माण कार्य की औचित्यपूर्ण धनराशि रू0 2569000.00 (रु0 पच्चीस लाख उनहत्तर हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है। स्वीकृत धनराशि रू0 2569000.00 (रु0 पच्चीस लाख उनहत्तर हजार मात्र) को आपके निवर्तन में रखते हुए संलग्न शासनादेश में उल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष निविदा के आधार पर अनुबन्धित धनराशि का ही आहरण कर सम्बन्धित कार्यदायी संस्था को भुगतान किया जाए।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024–25 में अनुदान संख्या–11 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक–4202 शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय– 01 सामान्य शिक्षा– 201 प्रारम्भिक शिक्षा– 03 प्रारम्भिक विद्यालयों का विकास एवं सुदृढ़ीकरण के मानक मद–53–वृहद निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

संलग्न– शासनादेश की प्रति एवं (Computer Generated ID)

भवदीय,

(हेमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियन्त्रक,
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0/नियोजन(04)/ 8011-12 /बजट (139)/2024–25 उक्तदिनांकित्।

प्रतिलिपि–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, कौलागढ़, देहरादून।
2. सचिव, बेसिक शिक्षा अनुभाग–02, उत्तराखण्ड शासन।
3. जिलाधिकारी, नैनीताल।
4. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, नैनीताल।
5. वित्त अधिकारी, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।
6. गार्ड फाइल।

(हेमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियन्त्रक,
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रेषक

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेडा, देहरादून ।

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी, (प्रा०शि०)
देहरादून।

पत्रांक– नियोजन(04)/ A-1A7.A9 /बजट(139)/2024–25 दिनांक 21 जून, 2024

विषयः– जनपद देहरादून के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय मनीराम मार्ग के भवन पुनर्निर्माण कार्य हेतु धनावंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र सं0–261/XXIV-A-2/2023-34/2021 बेसिक शिक्षा अनुभाग–2 दिनांक 7 जून, 2024 के द्वारा जनपद देहरादून के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय मनीराम मार्ग के भवन पुनर्निर्माण कार्य के सापेक्ष प्रारम्भिक शिक्षा के आय–व्ययक में 53–वृहद निर्माण कार्य मदान्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष चालू निर्माण कार्य की अवशेष कुल धनराशि रू0 719000.00 (रु0 सात लाख उन्नीस हजार मात्र) की स्वीकृति प्रदान की गयी है। स्वीकृत धनराशि रू0 719000.00 (रु0 सात लाख उन्नीस हजार मात्र) को आपके निवर्तन में रखते हुए संलग्न शासनादेश में उल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष निविदा के आधार पर अनुबन्धित धनराशि का ही आहरण कर सम्बन्धित कार्यदायी संस्था को भुगतान किया जाए।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024–25 में अनुदान संख्या–11 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक–4202 शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय– 01 सामान्य शिक्षा– 201 प्रारम्भिक शिक्षा– 03 प्रारम्भिक विद्यालयों का विकास एवं सुदृढ़ीकरण के मानक मद–53–वृहद निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

संलग्न– शासनादेश की प्रति एवं (Computer Generated ID

भवदीय

(हेमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियन्त्रक,
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0/नियोजन(04)/ A-1A3.A9 /बजट (139)/2024–25 उक्तदिनांकित्।

प्रतिलिपि–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, कौलागढ़, देहरादून।
2. सचिव, बेसिक शिक्षा अनुभाग–02, उत्तराखण्ड शासन।
3. जिलाधिकारी, देहरादून।
4. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून।
5. वित्त अधिकारी, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।
6. गार्ड फाइल।

(हेमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियन्त्रक,
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रेषक, *समयबद्ध*

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड
ननूरखेड़ा, देहरादून।

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।

पत्रांक–नियोजन(04)/ 11763-68 /फर्नीचर/2024–25 दिनांक 01 ~~सितम्बर~~ अक्टूबर, 2024

विषय– राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में फर्नीचर क्रय किये जाने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 374/XXIV(1)-A-2/2024-14/2020 टी०सी० दिनांक 06 अगस्त, 2024 के क्रम में निदेशालय के पत्र संख्या अर्थ–2/11515–20/5क(02)/13/2024–25 दिनांक 26 सितम्बर, 2024 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2024–25 में अनुदान संख्या– 11 के अधीन लेखा शीर्षक 2202– सामान्य शिक्षा, 01–प्रारम्भिक शिक्षा के अधीन, 101–राजकीय प्राथमिक विद्यालय के अन्तर्गत 12–प्राथमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास, 21–कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण के अन्तर्गत राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् छात्र–छात्राओं के लिए फर्नीचर क्रय हेतु जनपदों के प्रस्ताव के आधार पर रू० **54308837.00** (रूपयें पांच करोड तैतालीस लाख आठ हजार आठ सौ सैंतीस मात्र) की धनराशि को निम्न विवरणानुसार वित्त अधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा सम्बन्धित जनपद के निवर्तन में रखते हुये व्यय करने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

क्र० सं०	जनपद	विद्यालयों की संख्या	छात्र/छात्राओं की संख्या जिनके लिए फर्नीचर की धनराशि आवंटित की जा रही है	धनराशि @ 2.00 हजार रू० प्रति छात्र	गत वर्ष 2023–24 की देयता	कुल आवंटित धनराशि
1	अल्मोडा	57	535	1070000.00	0.00	**1070000.00**
2	बागेश्वर	42	561	1122000.00	0.00	**1122000.00**
3	चमोली	163	1775	3550000.00	0.00	**3550000.00**
4	चम्पावत	19	215	430000.00	1333045.00	**1763045.00**
5	देहरादून	239	4687	9374000.00	0.00	**9374000.00**
6	हरिद्वार	17	776	1552000.00	9428200.00	**10980200.00**
7	नैनीताल	23	323	646000.00	6050958.00	**6696958.00**
8	पौडी	52	653	1306000.00	0.00	**1306000.00**
9	पिथौरागढ	25	302	604000.00	1338634.00	**1942634.00**
10	रूद्रप्रयाग	107	1596	3192000.00	0.00	**3192000.00**
11	टिहरी	165	2017	4034000.00	0.00	**4034000.00**
12	उधमसिंह नगर	91	2286	4572000.00	0.00	**4572000.00**
13	उत्तरकाशी	166	2353	4706000.00	0.00	**4706000.00**
कुल योग		**1166**	**18079**	**36158000.00**	**18150837.00**	**54308837.00**

कुल योगः– रू० 54308837.00 (रूपये पांच करोड तैतालीस लाख आठ हजार आठ सौ सैंतीस मात्र)

उक्त स्वीकृत धनराशि से राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् छात्र–छात्राओं हेतु निम्न प्रक्रियानुसार फर्नीचर क्रय की कार्यवाही की जायेगी।

1. जिन जनपदों को फर्नीचर की गत वर्ष 2023–24 की देयता की धनराशि आवंटित की गयी है वे सम्पूर्ण औपचारिकतायें पूर्ण कर सम्बन्धित फर्म को तत्काल भुगतान की कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
2. आप द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर छात्र संख्या को मानक मानते हुए अध्ययनरत् छात्र–छात्राओं के लिये फर्नीचर क्रय हेतु धनराशि आवंटित की गयी है। आवंटित धनराशि *से महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा के* पत्र संख्या नियोजन (04)/6818–20 /फर्नी0/2022–23 दिनांक 14 जुलाई, 2022 (संलग्न) के अनुसार जनपद स्तर पर मुख्य शिक्षा अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा निर्धारित विशिष्टियों एवं निर्देशों के अनुसार उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली–2017 के प्राविधानों के तहत् GEM/E-Tender के माध्यम से राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् छात्र–छात्राओं के लिए फर्नीचर क्रय किया जायेगा।
3. आपके द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर फर्नीचर क्रय हेतु विद्यालयवार धन आवंटन किया गया है। आप पुनः अपने स्तर से फर्नीचर आवश्यकता वाले विद्यालयों की छात्र संख्या का परीक्षण अवश्य कर लें प्रथम वरीयता के आधार पर *संलग्न सूची (ई० मेल द्वारा प्रेषित)* में अंकित विद्यालयों को फर्नीचर उपलब्ध कराया जाय यदि सूची में अंकित किन्हीं विद्यालयों में छात्र संख्या में असमानता पायी जाती है या चयनित विद्यालयों में से किसी विद्यालय को सी०एस०आर०, विधायक निधि आदि के अन्तर्गत धनराशि आवंटित की गयी हो अथवा चयनित विद्यालय के पास पर्याप्त कक्षा–कक्ष उपलब्ध न हों तथा विद्यालय के पास पर्याप्त फर्नीचर उपलब्ध हों तो ऐसी स्थिति में जनपद स्तर से अधिक छात्र संख्या के विद्यालयों, जहां फर्नीचर की आवश्यकता हो का चयन करते हुये उन विद्यालयों में अपने स्तर से फर्नीचर समायोजित करने के उपरान्त उसकी सूचना निदेशालय को उपलब्ध करायी जाय।
4. जनपद स्तर पर गठित समिति द्वारा आपूर्ति किये जाने वाले फर्नीचर की गुणवत्ता का सत्यापन कर लिया जाय।
5. विद्यालयों हेतु फर्नीचर क्रय की कार्यवाही निर्धारित अवधि के अन्तर्गत कर आपूर्ति अनिवार्यतः रूप से पूर्ण करते उसकी अंकना सम्बन्धित विद्यालय के सम्भार पंजिका (स्टॉक) में आवश्यक रूप से कर ली जाय तथा फर्नीचर पर आवंटन वर्ष (2024–25) भी अंकित किया जाय।
6. उक्त के अतिरिक्त फर्नीचर क्रय की कार्यवाही अर्थ अनुभाग के उक्त पत्र में दिये गये निर्देशों का अनुपालन करते हुये किया जायेगा।
7. योजनान्तर्गत फर्नीचर क्रय की कार्यवाही के उपरान्त धनराशि अवशेष रहने की दशा में उसे कदापि जनपद स्तर पर किसी भी प्रत्याशा में न रोका जाय, शेष धनराशि निदेशालय को प्रत्यावर्तित की जायेगी।
8. चालू वित्तीय वर्ष की देनदारी अगले वित्तीय वर्ष के लिए कदापि न छोडी जाय।
9. सम्बन्धित जनपदों द्वारा फर्नीचर क्रय करने के उपरान्त फर्नीचर की गुणवत्ता प्रमाण पत्र के साथ ही उसका उपभोग प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप 42–आई पर सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा द्वारा अनिवार्य रूप से यथासमय निदेशालय को उपलब्ध कराया जायेगा।

संलग्नकः– यथोपरि।

भवदीय

01/10/2024

(आर०के० उनियाल)
निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ०सं० / नियोजन(04) / 11763 - 68 / फर्नीचर / 2024–25 तद्दिनांकित्।

प्रतिलिपि– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून।
2. वित्त नियंत्रक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून।
3. अपर निदेशक प्रा०शि० गढ़वाल मण्डल पौड़ी / कुमाऊँ मण्डल नैनीताल।
4. समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. समस्त उप शिक्षा अधिकारी (द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा०शि०)।

01/10/2024

(आर०के० उनियाल)
निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

By Mail

प्रेषक,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड
ननूरखेड़ा, देहरादून।

सेवा में

जिला शिक्षा अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।

पत्रांक–नियोजन(04)/12156-62 /रा०आ०वि०/2024–25 दिनांक 10 अक्टूबर, 2024

विषय– प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत राज्य के राजकीय आदर्श प्राथमिक एवं राजकीय आदर्श उच्च प्राथमिक विद्यालयों हेतु आवंटित धनराशि के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्याः 319/XXIV(1)-A-2/2024–14/2020 टी०सी० दिनांक 09 जुलाई, 2024 एवं शासनादेश संख्याः 374/XXIV(1)-A-2/2024–14/2020 टी०सी० दिनांक 06 अगस्त, 2024 के क्रम में निदेशालय के पत्र संख्या अर्थ–2/11803–08/5क(02)/15/2024–25 दिनांक 01 अक्टूबर, 2024 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2024–25 में अनुदान संख्या–11 के अधीन लेखा शीर्षक 2202–सामान्य शिक्षा, 01–प्रारम्भिक शिक्षा के अधीन, 101–राजकीय प्राथमिक विद्यालय के अन्तर्गत 08–विकासखण्ड स्तर पर मॉडल स्कूल हेतु निम्न विवरणानुसार धनराशि वित्त अधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा सम्बन्धित जनपद के निवर्तन में रखते हुये व्यय करने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

क्र0 सं0	जनपद का नाम	कुल छात्र संख्या	20–लेखन सामग्री छपाई (प्रबन्धन)	42– अन्य विभागीय व्यय (पुस्तकालय)	26–कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर एवं अनुरक्षण		21–कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	
					आवंटित कम्प्यूटर की सं0	आवंटित धनराशि@ 47.00 हजार प्रति सैट	कुल छात्र सं0	धनराशि@ 02.00 हजार प्रति छात्र
1	Almora	1395	316000.00	158000.00	2	94000.00	0	0.00
2	Bageshwar	776	100600.00	50300.00	4	188000.00	0	0.00
3	Chamoli	1434	266200.00	133100.00	1	47000.00	0	0.00
4	Champawat	930	124800.00	62400.00	3	141000.00	36	72000.00
5	Dehradun	2561	236200.00	118100.00	2	94000.00	200	400000.00
6	Haridwar	2542	241800.00	120900.00	2	94000.00	0	0.00
7	Nainital	1732	247400.00	123700.00	2	94000.00	0	0.00
8	Pauri	1443	405200.00	202600.00	2	94000.00	0	0.00
9	Pithoragarh	1152	235600.00	117800.00	2	140900.00	0	67945.00
10	Ruderprayag	425	89400.00	44700.00	1	47000.00	0	0.00
11	Tehri	1387	257800.00	128900.00	2	94000.00	95	190000.00
12	US Nagar	3825	287400.00	143700.00	5	235000.00	135	270000.00
13	Uttarkashi	1287	191600.00	95800.00	2	94000.00	0	0.00
Total		**20889**	**3000000.00**	**1500000.00**	**30**	**1456900.00**	**466**	**999945.00**

कुल योगः– रू0– 6956845.00 (रू0 उनहत्तर लाख छप्पन हजार आठ सौ पैंतालीस मात्र)

राजकीय आदर्श विद्यालयों हेतु आंवटित की गयी धनराशि से संलग्न विशिष्टियों को मानक मानते हुए सामग्री क्रय की कार्यवाही की जायेगी।

26

क्र. सं.	मद	विशिष्टियां
1.	20–लेखन सामग्री छपाई (प्रबन्धन)	मद से लेखन सामग्री, चॉक व कार्यालय उपयोग की सामग्री के साथ–साथ कक्षा–शिक्षण रूचिकर बनाने हेतु Indoor एवं Outdoor Activity Items रूचिकर सामग्री इत्यादि भी क्रय की जा सकती हैं, जिसमें बच्चों की सी०सी०ई० प्रगति, छात्रों की मासिक उपलब्धि, गृह कार्य इत्यादि की अंकना की जा सकेगी। इसके अतिरिक्त जिन विद्यालयों को कार्टेज (फोटो स्टेट/प्रिन्टर हेतु) की आवश्यकता हो वे विद्यालय कार्टेज भी खरीद सकते हैं।
2.	42–अन्य विभागीय व्यय (पुस्तकालय)	विद्यार्थियों में अकादमिक रूचि जागृत करने के लिए पुस्तकालय गतिविधियों का किया जाना अति आवश्यक है। छात्रों की आयु वर्ग को देखते हुए राष्ट्रीय पुस्तक न्यास (NBT), नेहरू बाल पुस्तकालय, अमर चित्र कथा, शब्दकोष Dictionary, कला एवं क्राफ्ट (Art Craft) से सम्बन्धित पुस्तकें, विज्ञान एवं गणित से सम्बन्धित पुस्तकें एवं बायोग्राफी, सामान्य ज्ञान की पुस्तकें, समाचार पत्र आदि क्रय किये जा सकते हैं।
3.	26–कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर एवं अनुरक्षण	जनपदों के द्वारा कम्प्यूटर की मांग एवं उपलब्ध बजट के सापेक्ष धनराशि आवंटित की गयी है। जनपद पिथौरागढ़ को गत वर्ष 2023–24 की देयता रू0 46900.00 को सम्मिलित करते हुए धनराशि आवंटित की गयी हैं
4.	21–कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	जनपदों के द्वारा छात्र फर्नीचर की मांग एवं उपलब्ध बजट के सापेक्ष धनराशि आवंटित की गयी है। जनपद पिथौरागढ़ को गत वर्ष 2023–24 की देयता रू0 67945.00 को सम्मिलित करते हुए धनराशि आवंटित की गयी हैं

- *सम्बन्धित विद्यालयों हेतु कम्प्यूटर क्रय की कार्यवाही शासन के पत्र संख्या 395/XXIV-A-2/2023-26/2022 (E-43596) दिनांक 21 जुलाई, 2023 के साथ संलग्न विशिष्टियों के आधार पर (कम्प्यूटर एवं यू०पी०एस०) महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड* के पत्र संख्या–नियोजन(04)/5300–04/कम्प्यूटर/2022–23 दिनांक 14 नवम्बर, 2022 *(संलग्न)* में दिए गए निर्देशानुसार जनपद स्तर पर मुख्य शिक्षा अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति के द्वारा उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली–2017 के प्राविधानों के तहत् GEM/E-Tender के माध्यम से क्रय किये जायेंगे।
- आप द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर छात्र संख्या को मानक मानते हुए अध्ययनरत् छात्र–छात्राओं के लिये फर्नीचर क्रय हेतु धनराशि आवंटित की गयी है। आवंटित धनराशि *से महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा के पत्र संख्या नियोजन (04)/6818–20 /फर्नी0/2022–23 दिनांक 14 जुलाई, 2022 (संलग्न)* के अनुसार जनपद स्तर पर मुख्य शिक्षा अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा निर्धारित विशिष्टियों एवं निर्देशों के अनुसार उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली–2017 के प्राविधानों के तहत् GEM/ E-Tender के माध्यम से राजकीय आदर्श प्राथमिक एवं राजकीय आदर्श उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् छात्र–छात्राओं के लिए फर्नीचर क्रय किया जायेगा।
- जनपद स्तर पर गठित समिति द्वारा आपूर्ति किये जाने वाले फर्नीचर/कम्प्यूटर की गुणवत्ता का सत्यापन कर लिया जाय।
- विद्यालयों हेतु फर्नीचर/कम्प्यूटर क्रय की कार्यवाही निर्धारित अवधि के अन्तर्गत कर, आपूर्ति अनिवार्यतः रूप से पूर्ण करते हुए उसकी अंकना सम्बन्धित विद्यालय के सम्भार पंजिका (स्टॉक) में आवश्यक रूप से कर ली जाय तथा फर्नीचर/कम्प्यूटर पर आवंटन वर्ष (2024–25) भी अंकित किया जाय।

- सम्बन्धित जनपदों द्वारा फर्नीचर/कम्प्यूटर क्रय करने के उपरान्त फर्नीचर/कम्प्यूटर की गुणवत्ता प्रमाण पत्र के साथ ही उसका उपभोग प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप 42–आई पर सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा द्वारा अनिवार्य रूप से निदेशालय को उपलब्ध कराया जायेगा।
- पुस्तकालय मद से सम्बन्धित सामग्री प्रधानाध्यापक/एस०एम०सी० के सुझावों के आधार पर क्रय की जाय।
- पुस्तकालय से सम्बन्धित समस्त बिल क्रय समिति के हस्ताक्षर/सत्यापन/कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र सहित विद्यालय स्तर से उप शिक्षा अधिकारी (आहरण–वितरण अधिकारी) को प्रस्तुत किये जायेंगे, तत्पश्चात उप शिक्षा अधिकारी (आहरण–वितरण अधिकारी) द्वारा कोषागार के माध्यम से भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।
- अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय कदापि न किया जाए तथा चालू वित्तीय वर्ष की देनदारी को अगले वित्तीय वर्ष के लिए कदापि न छोड़ी जाए। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाए कि उक्त स्वीकृत धनराशि को किसी ऐसे मद पर व्यय न किया जाए जिसके लिए वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता हो।
- यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त वर्णित धनराशि अधिकतम है, जिसके उपभोग में मितव्ययता का विशेष ध्यान रखा जाय। प्रत्येक मद में धनराशि के उपयोग में गुणवत्ता का कड़ाई से पालन किया जायेगा। विद्यालय स्तर पर यदि किसी मद मे धनराशि की बचत होती है, तो आहरण–वितरण अधिकारी (उप शिक्षा अधिकारी) उसी मद में अन्य आवश्यकता वाले आदर्श विद्यालय का अपने स्तर से चयन कर धनराशि का समायोजन कर लें। इसी प्रकार समान मद में बचत होने की दशा में सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी प्रा०शि० द्वारा अन्य विकासखण्डों के छात्र संख्या एवं सामग्री की आवश्यकता को देखते हुए धनराशि/सामग्री का समायोजन कर उसकी सूचना निदेशालय को उपलब्ध करायी जायेगी।
- उक्त के अतिरिक्त आवंटित धनराशि से व्यय की कार्यवाही उक्त के अनुपालन के साथ–साथ अर्थ अनुभाग के पत्र में दिये गये निर्देशों का अनुपालन करते हुये किया जायेगा।

भवदीय
10/10/24
(आर० के० उनियाल)
निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0/ नियोजन(04)/ 12156-62 /रा०आ०वि०/2024–25 दिनांक उक्तवत्।
प्रतिलिपि–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून।
2. वित्त नियंत्रक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून।
3. अपर निदेशक, प्रा०शि० गढ़वाल मण्डल पौड़ी/कुमाऊँ मण्डल नैनीताल।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी उत्तराखण्ड।
5. समस्त उप शिक्षा अधिकारी, (द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा)।
6. समस्त प्रधानाध्यापक, चयनित आदर्श विद्यालय, (द्वारा उप शिक्षा अधिकारी, सम्बन्धित विकासखण्ड)।

10/10/24
(आर० के० उनियाल)
निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

By Mail

प्रेषक,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तरखण्ड,
ननूरखेड़ा, देहरादून।

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा,
नैनीताल/चमोली/देहरादून/
उधमसिंह नगर/पौडी/टिहरी/पिथौरागढ।

पत्रांक– नियोजन 04/ 13457-51 /अनुरक्षण/2024–25 दिनांक 20 नवम्बर, 2024

विषय– राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अनुरक्षण कार्य हेतु आंवटित धनराशि के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 374/XXIV(1)-A-2/2024-14/2020 टी०सी० दिनांक 06 अगस्त, 2024 के क्रम में निदेशालय के पत्र संख्या–अर्थ–2/13662-67/5क(02)/13/ 2024–25 दिनांक 19 नवम्बर, 2024 के द्वारा अनुदान संख्या–11 के प्राथमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास योजना के अन्तर्गत 51–अनुरक्षण मद में प्रावधानित धनराशि के सापेक्ष राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों हेतु आप द्वारा उपलब्ध कराये गये आगणनों/प्रस्तावों के आधार पर निम्न विवरणानुसार संलग्न सूची में अंकित विद्यालयों के कार्यों हेतु धनराशि आवंटित की गयी है। आवंटित की गयी धनराशि का उपभोग निदेशालय के उक्त पत्र में उल्लेखित निर्देशों के साथ–साथ निम्न शर्तों का अक्षरतः अनुपालन करते हुये किया जायेगा।

क्र०सं०	जनपद का नाम	कुल कार्यो की संख्या	कुल आवंटित धनराशि
01	नैनीताल	04	2268000.00
02	चमोली	01	966000.00
03	देहरादून	01	912000.00
04	उधमसिंह नगर	10	9788000.00
05	पौडी	02	1563000.00
06	टिहरी	03	2830000.00
07	पिथौरागढ	11	9538000.00
	कुल योगः–	**32**	**27865000.00**

(रूपये दो करोड़ अठहत्तर लाख पैंसठ हजार मात्र)।

- विद्यालयों के भवन मरम्मत/अनुरक्षण कार्य हेतु आवंटित धनराशि से तत्काल विद्यालय का भवन मरम्मत/अनुरक्षण कार्य प्रारम्भ करना सुनिश्चित किया जाय। यदि किसी विद्यालय में अन्य स्रोतों/योजना से भवन मरम्मत/अनुरक्षण कार्य किया जा रहा हो/किया जा चुका हो तो ऐसी स्थिति में धनराशि का आवंटन न करते हुए धनराशि तत्काल निदेशालय को प्रत्यावर्तित करते हुये उसकी सूचना से अवगत कराया जाय।

- विद्यालयों का अनुरक्षण कार्य निर्धारित राजकीय कार्यदायी संस्थाओं के माध्यम से ही कराया जाय।

D:\planning data\Planning 2024-25\Anurakshan\Letter.docx

➢ आवंटित धनराशि से विद्यालयों का अनुरक्षण कार्य पूर्ण होने के उपरान्त विद्यालयों की नाम पट्टिका सहित फोटोग्राफ एवं उसकी प्रगति सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाध्यापक के माध्यम से Education Portal के अन्तर्गत Niyojan मॉड्यूल में अपलोड़ करना सुनिश्चित करें।

संलग्नकः— यथोपरि।

भवदीय

(आर०के० उनियाल)
निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड़।

पृ०सं०/नियोजन 04/ 13757-51 /अनुरक्षण/2024–25 दिनांक उक्तांकित।

प्रतिलिपिः— निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर निदेशक, प्रा०शि० गढ़वाल मण्ड़ल पौडी/कुमांयू मण्ड़ल नैनीताल।
3. सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी (द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा०शि०) उत्तराखण्ड़।

(आर०के० उनियाल)
निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड़।

प्रेषक,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, देहरादून।

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा,
अल्मोड़ा, देहरादून, उत्तरकाशी, टिहरी, पिथौरागढ़।

पत्रांक– नियोजन 04/ 15124 – 28 /अनुरक्षण/2024–25 दिनांक 21 दिसम्बर, 2024

विषय– राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अनुरक्षण कार्य हेतु आंवटित धनराशि के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 374/XXIV(1)-A-2/2024-14/2020 टी०सी० दिनांक 06 अगस्त, 2024 के द्वारा प्राविधानित बजट के क्रम में निदेशालय के पत्र संख्या–अर्थ–2/14854-57/5क(02)/13/2024–25 दिनांक 17 दिसम्बर, 2024 के द्वारा अनुदान संख्या–11 के प्राथमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास योजना के अन्तर्गत 51–अनुरक्षण मद में प्रावधानित धनराशि के सापेक्ष राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों हेतु आप द्वारा उपलब्ध कराये गये आगणनों/प्रस्तावों के आधार पर निम्न विवरणानुसार संलग्न सूची में अंकित विद्यालयों के कार्यों हेतु धनराशि आवंटित की गयी है। आवंटित की गयी धनराशि का उपभोग निदेशालय के उक्त पत्र में उल्लेखित निर्देशों के साथ–साथ निम्न शर्तो का अक्षरतः अनुपालन करते हुये किया जायेगा।

क्र०सं०	जनपद का नाम	कुल कार्यों की संख्या	कुल आवंटित धनराशि
01	अल्मोड़ा	02	1259000.00
02	देहरादून	08	6977000.00
03	उत्तरकाशी	14	6880000.00
04	टिहरी	01	863000.00
05	पिथौरागढ़	13	12902000.00
कुल योगः–		**38**	**28881000.00**

(रूपये दो करोड़ अठास्सी लाख इक्यासी हजार मात्र)।

- विद्यालयों के भवन मरम्मत/अनुरक्षण कार्य हेतु आवंटित धनराशि से तत्काल विद्यालय का भवन मरम्मत/अनुरक्षण कार्य प्रारम्भ करना सुनिश्चित किया जाय। यदि किसी विद्यालय में अन्य स्रोतों/योजना से भवन मरम्मत/अनुरक्षण कार्य किया जा रहा हो/किया जा चुका हो तो ऐसी स्थिति में धनराशि का आवंटन न करते हुए धनराशि तत्काल निदेशालय को प्रत्यावर्तित करते हुये उसकी सूचना से अवगत कराया जाय।
- विद्यालयों का अनुरक्षण कार्य निर्धारित (आंगणन गठित करने वाले) राजकीय कार्यदायी संस्थाओं के माध्यम से ही कराया जाय।
- आवंटित धनराशि से विद्यालयों का अनुरक्षण कार्य पूर्ण होने के उपरान्त विद्यालयों की नाम पट्टिका सहित फोटोग्राफ एवं उसकी प्रगति सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाध्यापक के माध्यम से Education Portal के अन्तर्गत Niyojan मॉड्यूल में अपलोड़ करना सुनिश्चित करें।

संलग्नकः– यथोपरि।

भवदीय
(हस्ताक्षर) 21/12/2024
(आर०के० उनियाल)
निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड़।

D:\planning data\Planning 2024-25\Anurakshan\Letter.docx

पृ०सं०/नियोजन 04/ 15124-28 /अनुरक्षण/2024–25 दिनांक उक्तांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर निदेशक, प्रा०शि० गढ़वाल मण्ड़ल पौड़ी/कुमांयू मण्ड़ल नैनीताल।
3. सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी (द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा०शि०) उत्तराखण्ड़।

(आर०के० उनियाल)
निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड़।

प्रेषक,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तरखण्ड,
ननूरखेड़ा, देहरादून।

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड। (जनपद पौडी को छोडकर)

पत्रांक– नियोजन 04/ 15265-69 /लघु निर्माण/2024–25 दिनांक 30 दिसम्बर, 2024

विषय– राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शौचालय निर्माण हेतु आंवटित धनराशि के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 319/XXIV(1)-A-2/22024-14/2020 टी०सी० दिनांक 09 जुलाई, 2024 के द्वारा प्राविधानित बजट के क्रम में निदेशालय के पत्र संख्या– अर्थ–2/15054–59/5क(02)/04/2024–25 दिनांक 21 दिसम्बर, 2024 के द्वारा अनुदान संख्या–11 के प्राथमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास योजना के अन्तर्गत 52–लघु निर्माण मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों हेतु निम्न विवरणानुसार संलग्न सूची में अंकित विद्यालयों को नवीन बालक एवं बालिका शौचालय निर्माण कार्य हेतु धनराशि आवंटित की गयी है। आवंटित धनराशि का उपभोग निदेशालय के उक्त पत्र में उल्लिखित निर्देशों के साथ–साथ निम्न शर्तों का अक्षरशः अनुपालन करते हुए किया जायेगा।

क्र० सं०	जनपद का नाम	कुल विद्यालयों की संख्या जहां शौचालय आवंटित किये जा रहे हैं	आवंटित बालक शौचालयों की संख्या	आवंटित बालिका शौचालयों की संख्या	आवंटित कुल शौचालयों की संख्या	आवंटित कुल धनराशि
1	अल्मोड़ा	21	17	4	**21**	**5901000.00**
2	बागेश्वर	1	1	1	**2**	**562000.00**
3	चमोली	13	0	13	**13**	**3653000.00**
4	चम्पावत	10	9	1	**10**	**2810000.00**
5	देहरादून	43	26	25	**51**	**12483000.00**
6	हरिद्वार	1	1	1	2	478000.00
7	नैनीताल	48	16	39	55	13607000.00
8	पिथौरागढ	45	27	19	46	12926000.00
9	रूद्रप्रयाग	8	0	8	**8**	**2248000.00**
10	टिहरी	131	120	15	**135**	**37935000.00**
11	उधमसिंह नगर	10	0	10	**10**	**2390000.00**
12	उत्तरकाशी	31	27	4	**31**	**8711000.00**
कुल योगः–		362	244	140	384	103704000.00

(रू० दस करोड़ सैंतीस लाख चार हजार मात्र)

- उक्त धनराशि समग्र शिक्षा अन्तर्गत तैयार किए गए मॉडल आंगणन के आधार पर मैदानी क्षेत्र हेतु रू० 2.39 लाख तथा पर्वतीय क्षेत्र हेतु रू० 2.81 लाख की दर से आवंटित की गयी है जिनका निर्माण कार्य आगणन में दी गयी ड्रॉईंग के अनुसार तत्काल प्रारम्भ किया जाय।

➢ शौचालय निर्माण कार्य प्रारम्भ करने में किसी प्रकार का विलम्ब होने व यथासमय निर्माण कार्य पूर्ण न करने पर सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

➢ शौचालय निर्माण हेतु जिन विद्यालयों को धनराशि आंवटित की गयी है यदि उन विद्यालयों में शौचालय निर्माण कार्य किसी योजना यथा विधायक निधि, जिला योजना, समग्र शिक्षा, सी०एस०आर० अथवा अन्य किसी योजना से किया जा चुका हो तो ऐसी स्थिति में जनपद स्तर पर छात्र संख्या को दृष्टि में रखते हुये किसी अन्य विद्यालय जो शौचालय विहीन हो का चयन कर उस विद्यालय में शौचालय निर्माण हेतु अपने स्तर से धनराशि आवंटित करते हुए उसकी सूचना से निदेशालय को अवगत कराया जायेगा।

➢ शौचालय निर्माण हेतु आवंटित धनराशि के सापेक्ष निर्मित शौचालयों की प्रगति आख्या से निदेशालय को प्रत्येक माह के अन्तिम तिथि तक अनिवार्यतः अवगत कराया जाय।

➢ सम्बन्धित जनपद के जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा यह भी सुनिश्चित कर लें कि उक्त के पश्चात आपके जनपदान्तर्गत कोई भी राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय शौचालय विहीन नहीं रहना चाहिए।

संलग्नकः— विद्यालयों की सूची।

भवदीय

(आर० के० उनियाल)
निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड

पृ०सं०/नियोजन 04/ 15265-69 /लघु निर्माण/2024—25 दिनांक उक्तांकित।

प्रतिलिपिः— निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर निदेशक, (प्रा०शि०) गढवाल मण्डल पौडी/कुमांयू मण्डल नैनीताल।
3. सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी (द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा०शि०)।

(आर० के० उनियाल)
निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड

By Mail
07/04/2025

प्रेषक,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तरखण्ड,
ननूरखेड़ा, देहरादून।

सेवा में,

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।

पत्रांक– नियोजन(04)/15565-69 /लघु निर्माण–रैम्प रेलिंग/2024–25 दिनांक 04 जनवरी, 2025

विषय– राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में रैम्प रेलिंग निर्माण हेतु आंवटित धनराशि के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्याः 319/XXIV(1)-A-2/22024-14/2020 टी०सी० दिनांक 09 जुलाई, 2024 के द्वारा प्राविधानित बजट के क्रम में निदेशालय के पत्र संख्या–अर्थ–2/15236–40 /5क(02)/04/2024–25 दिनांक 30 दिसम्बर, 2024 के द्वारा अनुदान संख्या–11 के प्राथमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास योजना के अन्तर्गत 52–लघु निर्माण मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों हेतु निम्न विवरणानुसार संलग्न सूची में अंकित विद्यालयों को रैम्प रेलिंग निर्माण कार्य हेतु धनराशि आवंटित की गयी है। आवंटित धनराशि का उपभोग निदेशालय के उक्त पत्र में उल्लिखित निर्देशों के साथ–साथ निम्न शर्तों का अक्षरशः अनुपालन करते हुए किया जायेगा।

क्रं० सं०	जनपद का नाम	प्राथमिक विद्यालयों की संख्या	आवंटित धनराशि	उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या	आवंटित धनराशि	कुल विद्यालयों की संख्या	कुल आवंटित धनराशि
1	अल्मोडा	115	2300000.00	31	620000.00	146	2920000.00
2	बागेश्वर	83	1660000.00	29	580000.00	112	2240000.00
3	चमोली	32	640000.00	8	160000.00	40	800000.00
4	चम्पावत	31	620000.00	8	160000.00	39	780000.00
5	देहरादून	55	1100000.00	19	380000.00	74	1480000.00
6	हरिद्वार	19	380000.00	7	140000.00	26	520000.00
7	नैनीताल	72	1440000.00	18	360000.00	90	1800000.00
8	पौडी	58	1160000.00	15	300000.00	73	1460000.00
9	पिथौरागढ	92	1840000.00	18	360000.00	110	2200000.00
10	रूद्रप्रयाग	75	1500000.00	26	520000.00	101	2020000.00
11	टिहरी	173	3460000.00	57	1140000.00	230	4600000.00
12	उधमसिंह नगर	106	2120000.00	23	460000.00	129	2580000.00
13	उत्तरकाशी	97	1940000.00	30	600000.00	127	2540000.00
कुल योगः–		1008	20160000.00	289	5780000.00	1297	25940000.00

(रूपये दो करोड उन्नसठ लाख चालीस हजार मात्र)।

- उक्त धनराशि प्रति विद्यालय, प्रति रैम्प रेलिंग हेतु रू० 20 हजार की दर से आवंटित की गयी है जिनका निर्माण कार्य तत्काल प्रारम्भ किया जाय।
- रैम्प रेलिंग निर्माण कार्य प्रारम्भ करने में किसी प्रकार का विलम्ब होने व यथासमय निर्माण कार्य पूर्ण न करने पर सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।
- रैम्प रेलिंग निर्माण हेतु विद्यालयों का चयन यू०डायस के माध्यम से करते हुए धनराशि आंवटित की गयी है यदि उन विद्यालयों में रैम्प रेलिंग निर्माण कार्य विधायक निधि, जिला योजना, समग्र शिक्षा, सी०एस०आर० अथवा अन्य किसी योजना से किया जा चुका हो तथा छात्र संख्या न्यून होने के कारण विद्यालय बन्द हो चुका हो तो ऐसी स्थिति में जनपद स्तर पर अधिक छात्र संख्या को मानक मानते हुए किसी अन्य विद्यालय जो रैम्प रेलिंग विहीन हो का चयन कर उस विद्यालय में रैम्प रेलिंग निर्माण हेतु अपने स्तर से धनराशि आवंटित करते हुए उसकी सूचना निदेशालय को उपलब्ध करायी जाय।
- रैम्प रेलिंग का निर्माण वनभूमि के विद्यालयों में कदापि न किया जाय।
- रैम्प रेलिंग निर्माण हेतु आवंटित धनराशि के सापेक्ष निर्मित रैम्प रेलिंग की प्रगति आख्या से निदेशालय को प्रत्येक माह के अन्तिम तिथि तक अनिवार्यतः अवगत कराया जाय।
- उक्त निर्माण कार्य में राज्य के नागर स्थानीय निकाय सामान्य निर्वाचन–2024 में लागू आदर्श आचरण संहिता के निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

संलग्नकः– विद्यालयों की सूची।

भवदीय

04/1/25

(आर० के० उनियाल)
निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड

पृ०सं०/ नियोजन(04)/15565–69 /लघु निर्माण–रैम्प रेलिंग/2024–25 दिनांक उक्तांकित।
प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर निदेशक, (प्रा०शि०) गढवाल मण्डल पौडी/कुमांयू मण्डल नैनीताल।
3. सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी (द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा०शि०)।

04/1/25

(आर० के० उनियाल)
निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड

प्रेषक, पंजीकृत/ई०मेल०

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तरखण्ड,
ननूरखेड़ा, देहरादून।

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा,
देहरादून, पिथौरागढ़, पौड़ी, अल्मोड़ा।

पत्रांक– नियोजन 04/ 16530 - 34 /अनुरक्षण/2024–25 दिनांक 03 फरवरी, 2025

विषय– राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अनुरक्षण कार्य हेतु आंवटित धनराशि के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 374/XXIV(1)-A-2/2024-14/2020 टी०सी० दिनांक 06 अगस्त, 2024 के द्वारा प्राविधानित बजट के क्रम में निदेशालय के पत्र संख्या–अर्थ–2/16267-73/5क(02)/13/2024–25 दिनांक 29 जनवरी, 2025 के द्वारा अनुदान संख्या–11 के प्राथमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास योजना के अन्तर्गत 51–अनुरक्षण मद में प्रावधानित धनराशि के सापेक्ष राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों हेतु आप द्वारा उपलब्ध कराये गये आंगणनों/प्रस्तावों के आधार पर निम्न विवरणानुसार संलग्न सूची में अंकित विद्यालयों के कार्यों हेतु धनराशि आवंटित की गयी है। आवंटित की गयी धनराशि का उपभोग निदेशालय के उक्त पत्र में उल्लिखित निर्देशों के साथ–साथ निम्न शर्तों का अक्षरतः अनुपालन करते हुये किया जायेगा।

क्र०सं०	जनपद का नाम	कुल कार्यों की संख्या	कुल आवंटित धनराशि
01	देहरादून	07	5098000.00
02	पिथौरागढ़	08	7932000.00
03	पौड़ी	04	2813000.00
04	अल्मोड़ा	02	1468000.00
	कुल योगः–	**21**	**17311000.00**

(रुपये एक करोड़ तिहत्तर लाख ग्यारह हजार मात्र)।

- विद्यालयों के भवन मरम्मत/अनुरक्षण कार्य हेतु आवंटित धनराशि से तत्काल विद्यालय का भवन मरम्मत/अनुरक्षण कार्य प्रारम्भ करना सुनिश्चित किया जाय। यदि किसी विद्यालय में अन्य श्रोतों/योजना से भवन मरम्मत/अनुरक्षण कार्य किया जा रहा हो/किया जा चुका हो तो ऐसी स्थिति में धनराशि का आवंटन न करते हुए धनराशि तत्काल निदेशालय को प्रत्यावर्तित करते हुये उसकी सूचना से अवगत कराया जाय।
- विद्यालयों का अनुरक्षण कार्य निर्धारित (आंगणन गठित करने वाले) राजकीय कार्यदायी संस्थाओं के माध्यम से ही कराया जाय।
- आवंटित धनराशि से विद्यालयों का अनुरक्षण कार्य पूर्ण होने के उपरान्त विद्यालयों की नाम पट्टिका सहित फोटोग्राफ एवं उसकी प्रगति सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाध्यापक के माध्यम से Education Portal के अन्तर्गत Niyojan मॉड्यूल में अपलोड़ करना सुनिश्चित करें।

संलग्नकः– यथोपरि।

भवदीय

(अजय कुमार नौडियाल)
निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

D:\planning data\Planning 2024-25\Anurakshan\Letter.docx

पृ०सं०/नियोजन 04/ 16530-34 /अनुरक्षण/2024–25 दिनांक उक्तांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर निदेशक, प्रा०शि० गढ़वाल मण्ड़ल पौड़ी/कुमांयू मण्ड़ल नैनीताल।
3. सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी (द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा०शि०) उत्तराखण्ड़।

(अजय कुमार नौडियाल)
निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड़।

D:\planning data\Planning 2024-25\Anurakshan\Letter.docx

प्रेषक,

पंजीकृत

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तरखण्ड,
ननूरखेड़ा, देहरादून।

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा,
देहरादून, पौडी, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, उधमसिंह नगर।

पत्रांक– नियोजन 04/ 17740-44 /अनुरक्षण/2024–25 दिनांक 24 फरवरी, 2025

विषय– राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अनुरक्षण कार्य हेतु आवंटित धनराशि के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 374/XXIV(1)-A-2/2024-14/2020 टी०सी० दिनांक 06 अगस्त, 2024 के द्वारा प्राविधानित बजट के क्रम में निदेशालय के पत्र संख्या–आर्थ–2/17329-35/5क(02)/13/2024–25 दिनांक 21 फरवरी, 2025 के द्वारा अनुदान संख्या–11 के प्राथमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास योजना के अन्तर्गत 51–अनुरक्षण मद में प्रावधानित धनराशि के सापेक्ष राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों हेतु आप द्वारा उपलब्ध कराये गये आंगणनों/प्रस्तावों के आधार पर निम्न विवरणानुसार संलग्न सूची में अंकित विद्यालयों के कार्यों हेतु धनराशि आवंटित की गयी है। आवंटित की गयी धनराशि का उपभोग निदेशालय के उक्त पत्र में उल्लिखित निर्देशों के साथ–साथ निम्न शर्तों का अक्षरतः अनुपालन करते हुये किया जायेगा।

क्र०सं०	जनपद का नाम	कुल कार्यों की संख्या	कुल आवंटित धनराशि
01	देहरादून	01	247000.00
02	पौड़ी	01	986000.00
03	पिथौरागढ़	23	22488000.00
04	उत्तरकाशी	11	5324000.00
05	उधमसिंह नगर	11	10805000.00
	कुल योगः–	**47**	**39885000.00**

(कुल योगः– रूपये तीन करोड़ अठ्ठानवे लाख पिचासी हजार मात्र)

- विद्यालयों के भवन मरम्मत/अनुरक्षण कार्य हेतु आवंटित धनराशि से तत्काल विद्यालय का भवन मरम्मत/अनुरक्षण कार्य प्रारम्भ करना सुनिश्चित किया जाय। यदि किसी विद्यालय में अन्य स्रोतों/योजना से भवन मरम्मत/अनुरक्षण कार्य किया जा रहा हो/किया जा चुका हो तो ऐसी स्थिति में धनराशि का आवंटन न करते हुए धनराशि तत्काल निदेशालय को प्रत्यावर्तित करते हुये उसकी सूचना से अवगत कराया जाय।
- विद्यालयों का अनुरक्षण कार्य निर्धारित (आंगणन गठित करने वाले) राजकीय कार्यदायी संस्थाओं के माध्यम से ही कराया जाय।
- आवंटित धनराशि से विद्यालयों का अनुरक्षण कार्य पूर्ण होने के उपरान्त विद्यालयों की नाम पट्टिका सहित फोटोग्राफ एवं उसकी प्रगति सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाध्यापक के माध्यम से Education Portal के अन्तर्गत Niyojan मॉड्यूल में अपलोड़ करना सुनिश्चित करें।

संलग्नकः– यथोपरि।

भवदीय

(अजय कुमार नौडियाल)
निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

D:\planning data\Planning 2024-25\Anurakshan\Letter.docx

01C

पृ०सं०/नियोजन 04/ 17740-44 /अनुरक्षण/2024-25 दिनांक उक्तांकित।

प्रतिलिपिः- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर निदेशक, प्रा०शि० गढ़वाल मण्ड़ल पौड़ी/कुमांयू मण्ड़ल नैनीताल।
3. सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी (द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा०शि०) उत्तराखण्ड़।

(अजय कुमार नौडियाल)
निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड़।

प्रेषक,　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ई०मेल/पंजीकृत

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तरखण्ड,
ननूरखेड़ा, देहरादून।

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा, नैनीताल।

पत्रांक– नियोजन 04/ 18694-98 /लघु निर्माण/2024–25 दिनांक 21 मार्च, 2025

विषय– राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शौचालय निर्माण हेतु आंवटित धनराशि के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 319/XXIV(1)-A-2/22024-14/2020 टी०सी० दिनांक 09 जुलाई, 2024 के द्वारा प्राविधानित बजट के क्रम में निदेशालय के पत्र संख्या– अर्थ–2/18629–34/5क(02)/04/2024–25 दिनांक 20 मार्च, 2025 के द्वारा अनुदान संख्या–11 के प्राथमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास योजना के अन्तर्गत 52–लघु निर्माण मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों हेतु निम्न विवरणानुसार संलग्न सूची में अंकित विद्यालयों को नवीन फैब्रीकेटेड़ शौचालय निर्माण कार्य हेतु धनराशि आवंटित की गयी है। आवंटित धनराशि का उपभोग निदेशालय के उक्त पत्र में उल्लिखित निर्देशों के साथ–साथ निम्न शर्तों का अक्षरशः अनुपालन करते हुए किया जायेगा।

क्र०सं०	जनपद का नाम	विद्यालयों की संख्या जहां फैब्रीकेटेड़ शौचालय निर्माण हेतु धनराशि अवमुक्त की जा रही है	अवमुक्त धनराशि
1.	नैनीताल	26	2756000.00
	कुल योगः–		**2756000.00**

(रू० सताईस लाख छप्पन हजार मात्र)

- उक्त धनराशि राजकीय कार्यदायी संस्था ग्रामीण निर्माण विभाग के अन्तर्गत तैयार किए गए मॉडल आंगणन के आधार पर प्रति विद्यालय रू०– 106000.00 (एक लाख छः हजार रूपये) की दर से आवंटित की गयी है जिनका निर्माण कार्य आगणन में दी गयी ड्रॉईंग के अनुसार सम्बन्धित कार्यदायी संस्था से तत्काल प्रारम्भ किया जाय।
- फैब्रीकेटेड शौचालय निर्माण कार्य प्रारम्भ करने में किसी प्रकार का विलम्ब होने व यथासमय निर्माण कार्य पूर्ण न करने पर सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।
- उक्त फैब्रीकेटेड शौचालय निर्माण हेतु धनराशि इस शर्त के साथ आवंटित की जा रही है कि धनराशि उपभोग करने से पूर्व वन विभाग से भूमि के सम्बन्ध में अनुमति प्राप्त कर ली जाये।
- फैब्रीकेटेड शौचालय निर्माण हेतु आवंटित धनराशि के सापेक्ष निर्मित शौचालयों की प्रगति आख्या से निदेशालय को प्रत्येक माह के अन्तिम तिथि तक अनिवार्यतः अवगत कराया जाय।
- सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा यह भी सुनिश्चित कर लें कि उक्त के पश्चात आपके जनपदान्तर्गत कोई भी राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय शौचालय विहीन नहीं रहना चाहिए।

संलग्नकः– विद्यालयों की सूची।

भवदीय
21-3-25
(डॉ० मुकुल कुमार सत्ती)
प्रभारी निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड

D:\planning data\Planning 2024-25\Laghu Nirmaan\Letter.docx

पृ०सं०/नियोजन 04/ 18694-98 /लघु निर्माण/2024–25 दिनांक उक्तांकित।
प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर निदेशक, (प्रा०शि०) कुमांयू मण्डल नैनीताल।
3. सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी, नैनीताल।
4. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी (द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा०शि०)।

(डॉ० मुकुल कुमार सत्ती)
प्रभारी निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड

D:\planning data\Planning 2024-25\Laghu Nirmaan\Letter.docx

प्रेषक,

ई०मेल/पंजीकृत

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तरखण्ड,
ननूरखेड़ा, देहरादून।

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा,
पिथौरागढ़, पौड़ी, टिहरी।

पत्रांक– नियोजन 04/ 18776-81 /अनुरक्षण/2024–25 दिनांक 24 मार्च, 2025

विषय– राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अनुरक्षण कार्य हेतु आंवटित धनराशि के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 374/XXIV(1)-A-2/2024-14/2020 टी०सी० दिनांक 06 अगस्त, 2024 के द्वारा प्राविधानित बजट के क्रम में निदेशालय के पत्र संख्या–अर्थ–2/18735-40/5क(02)/13/2024–25 दिनांक 22 मार्च, 2025 के द्वारा अनुदान संख्या–11 के प्राथमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास योजना के अन्तर्गत 51–अनुरक्षण मद में प्रावधानित धनराशि के सापेक्ष राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों हेतु आप द्वारा उपलब्ध कराये गये आंगणनों/प्रस्तावों के आधार पर निम्न विवरणानुसार संलग्न सूची में अंकित विद्यालयों के कार्यों हेतु धनराशि आवंटित की गयी है। आवंटित की गयी धनराशि का उपभोग निदेशालय के उक्त पत्र में उल्लिखित निर्देशों के साथ–साथ निम्न शर्तों का अक्षरतः अनुपालन करते हुये किया जायेगा।

क्र०सं०	जनपद का नाम	कुल कार्यो की संख्या	कुल आवंटित धनराशि
01	पिथौरागढ़	04	3799000.00
02	पौड़ी	01	910000.00
03	टिहरी	01	937000.00
कुल योगः–		**06**	**5646000.00**

(कुल योगः– रूपये छप्पन लाख छियालीस हजार मात्र)

- विद्यालयों के भवन मरम्मत/अनुरक्षण कार्य हेतु आवंटित धनराशि से तत्काल विद्यालय का भवन मरम्मत/अनुरक्षण कार्य प्रारम्भ करना सुनिश्चित किया जाय। यदि किसी विद्यालय में अन्य स्रोतों/योजना से भवन मरम्मत/अनुरक्षण कार्य किया जा रहा हो/किया जा चुका हो तो ऐसी स्थिति में धनराशि का आवंटन न करते हुए धनराशि तत्काल निदेशालय को प्रत्यावर्तित करते हुये उसकी सूचना से अवगत कराया जाय।
- विद्यालयों का अनुरक्षण कार्य निर्धारित (आंगणन गठित करने वाले) राजकीय कार्यदायी संस्थाओं के माध्यम से ही कराया जाय।
- आवंटित धनराशि से विद्यालयों का अनुरक्षण कार्य पूर्ण होने के उपरान्त विद्यालयों की नाम पट्टिका सहित फोटोग्राफ एवं उसकी प्रगति सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाध्यापक के माध्यम से Education Portal के अन्तर्गत Niyojan मॉड्यूल में अपलोड़ करना सुनिश्चित करें।

संलग्नकः– यथोपरि।

भवदीय

(अजय कुमार नौडियाल)
निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड़।

D:\planning data\Planning 2024-25\Anurakshan\Letter.docx

पृ०सं०/नियोजन 04/ 18776-81 /अनुरक्षण/2024–25 दिनांक उक्तांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर निदेशक, प्रा०शि० गढ़वाल मण्ड़ल पौड़ी/कुमांयू मण्ड़ल नैनीताल।
3. मुख्य शिक्षा अधिकारी, सम्बन्धित जनपद।
4. वित्त अधिकारी, सम्बन्धित जनपद।
5. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी (द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा०शि०) उत्तराखण्ड़।

(अजय कुमार नौडियाल)
निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड़।

D:\planning data\Planning 2024-25\Anurakshan\Letter.docx